

सूचना स्वतंत्रता अधिनियम २००२

का

विस्तृत विश्लेषण

व संशोधन हेतु सिफारिशें

”लोकतंत्रीकरण करने की सूचना की अपार शक्ति ने हमें ऐसे तौर-तरीकों से परिवर्तन लाने और गरीबी कम करने का अवसर दिया है कि आज भी हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारा काम और आपका काम है.....उन लोगों के लिए परिवर्तन को एक हकीकत में तबदील करना जिन्हें उसकी ज़रूरत है, वे लोग चाहे कहीं भी हों। सूचना के हमारे साथ में होने और ज्ञान के सब के लिए एक संभावना बन जाने के कारण गरीबी को कम किया जा सकता है।“

- कोफी अन्नान

प्रस्तुतकर्ता:

कॉमनवेल्थ हयूमन राइट्स इनीशिएटिव

जुलाई २००४

अधिक सूचना के लिए संपर्क करें:

श्रीमती माया दारुवाला, निदेशक

अथवा

सुश्री शार्मेन रॉड्रिग्स, सूचना अधिकार कार्यक्रम प्रभारी

फोन: 91 11 2685 0523

फैक्स: 91 11 2686 4788

ईमेल: maja@humanrightsinitiative.org या charmaine@humanrightsinitiative.org

पृष्ठ भूमि

9. सर्वोच्च न्यायालय दशकों से सूचना के अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार की मान्यता देता आया है। १९६७ के बाद से राज्य सरकारें पहलकदमी करते हुए इस अधिकार को व्यवहार में कार्यान्वित करने के लिए कानून और वैधानिक ढांचे बनाती रही हैं। अब तक नौ राज्य सरकारें इस संबंध में कानून बना चुकी हैं, लेकिन भारत के शेष बीस राज्यों में सूचना तक पहुंच चाहने की स्थिति में लोग अभी भी केवल अपने संवैधानिक अधिकार पर ही निर्भर हैं। ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए कि लोगों को अपनी सरकार से कोई मामूली सी सूचना हासिल करने के लिए बार बार उच्च और/ या सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े।
2. केन्द्र सरकार ने दिसंबर २००२ में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। हालांकि पारित होने के बाद उसे जल्द ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन १८ माह बीत जाने के बावजूद अभी भी उसे लागू नहीं किया गया है। यह अपने आप में एक निराशाजनक बात है। बहरहाल, मौजूदा अधिनियम का दायरा सीमित है (विशेषकर इस अर्थ में कि निजी संस्थाओं/ प्रतिष्ठानों को इसके बाहर रखा गया है)। इसमें सूचना को सार्वजनिक करने के मामले में दी गई छूटें काफी अधिक हैं। जनहित में इन छूटों को रद्द करने का प्रावधान अधिनियम में शामिल नहीं है। इसमें ऐसी प्रभावी और स्वतंत्र संस्था का प्रावधान भी नहीं है जो अपीलें सुन सके। इस अधिकार के संबंध में जनता को शिक्षित करने और अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने संबंधी प्रावधान भी अधिनियम में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अधिनियम में अनेकों कमियां हैं। अगर इस अधिनियम के प्रयोजन को कारगर तरीके से हासिल करना है, तो इन कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की ज़रूरत है।
3. नव-निर्वाचित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने मौजूदा अधिनियम में सुधार करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह उत्साहवर्धक बात है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा है कि: "सभी सरकारी संस्थाओं, और खासकर नागरिकों के रोजाना संपर्क व व्यवहार में आने वाली संस्थाओं को संवेदनशील व जवाबदेह ढंग से काम करना चाहिए। केंद्र में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' को और अधिक अर्थपूर्ण, प्रगतिशील एवं उपयोगी बनाया जाएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन तथा इसे मॉनीटर करने की प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण बनाया जाएगा और विलंब, गैरकानूनी इंकार तथा जनता को सूचना प्रदान करने से जुड़ी अन्य कमियों से संबंधित दंडात्मक धाराओं को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। अगर जरुरत हुई, तो वैधानिक तरीकों से सभी "चेताने वालों" (विस्लिप्पोअर्स) को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।" अभी हाल ही में, ७ जून २००४ को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए भाषण में राष्ट्रपति ने सरकार के इस संकल्प को फिर दोहराया है: "सूचना अधिकार अधिनियम को अधिक प्रगतिशील, भागीदारी-आधारित तथा सार्थक बनाया जाएगा।"
4. अधिनियम में सुधारों के संदर्भ में यह दस्तावेज़ मौजूदा सूचना स्वतंत्रता अधिनियम का एक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास है। साथ ही इसमें कुछ संशोधनों के सुझाव दिए गए हैं, ताकि अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों व तौर-तरीकों को शामिल किया जा सके। यह कमोबेश एक सर्वमान्य बात है कि कुछ ऐसे न्यूनतम बुनियादी मानदंड हैं, जिन पर किसी भी सूचना अधिकार कानून को खरा उत्तरना चाहिए। इन मानदंडों पर सीएचआरआई की २००३ की रपट ओपन सेसमि : लुकिंग फॉर द राइट टू इनफर्मेशन इन कॉम्पनीजेट्स¹ में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। नीचे प्रस्तुत की गई समीक्षा इस रपट² पर आधारित है। सीएचआरआई ने संभावित संशोधनों, सुधार संबंधी बिंदुओं तथा भविश्य में विचारणीय मुद्दों से संबंधित सुझावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों व तौर-तरीकों या प्रचलनों को अपना आधार बनाया है।
5. गौरतलब है कि कानून में संशोधन की प्रक्रिया भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। यह अनुभवसिद्ध तथ्य है कि कानून बनाने की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया एक प्रभावी सूचना अधिकार व्यवस्था की सुदृढ़ नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार और जनता, जब दोनों ही सूचना अधिकार संबंधी कानूनों को हृदय से अपनाते हैं, तो उनका कार्यान्वयन मजबूती से होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की मांग के अनुसार कानून बनाने वालों को पहल करते हुए, कानून बनाने की प्रक्रिया में नागरिक समाज के संगठनों तथा आम लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा अभी भी अनेकों तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विधेयक के मसौदे के संबंध में आई सिफारिशों पर विचार करने और अपनी सिफारिशों देने के लिए इस कार्यक्षेत्र में सक्रिय भागीदारों (अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों सहित) की समिति बना कर; संसद द्वारा विधेयक पर मतदान करने से पहले लोगों की

¹ http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/chogm_2003/default.htm

² इस कानून से संबंधित सभी उल्लंखा के बार म जानकारी सीएचआरआई के वरसाइट

http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/laws_&_papers.htm पर उपलब्ध ह।

राय व सुझाव आमंत्रित कर के; प्रस्तावित कानून पर चर्चा करने के लिए जनसभाएं आयोजित कर के और इस दिशा में हुई प्रगति से जनता को अवगत कराने व उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर व रणनीतिक स्तर पर मीडिया के उपयोग के द्वारा। जिन राज्यों में सूचना के अधिकार का कानून पहले से मौजूद है, उनके अनुभवों तथा अच्छे तौर-तरीकों से काफी कुछ सीखा जा सकता है - विशेषकर दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अनुभवों से, जहां सक्रिय नागरिक समाज ने इस कानून तक पहुंच का वास्तव में उपयोग किया है और इस प्रक्रिया में उनकी अच्छाइयों व कमियों को उजागर किया है।

संवैधानिक मुददे

६. अधिनियम का विश्लेषण करने से पहले, सूचना के अधिकार पर किसी भी केन्द्रीय कानून के दायरे के मुददे पर चर्चा करना जरुरी है। आज की तारीख तक इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की कानून बनाने की योग्यता/क्षमता को लेकर काफी भ्रम व असहमति की स्थिति बर्ती हुई है। कार्यान्वयन के दौरान यह भ्रम न बना रहे, इसके लिए जरुरी है कि प्राथमिकता के आधार पर इस मुददे का स्पष्टीकरण किया जाए।
७. मौजूदा अधिनियम बनाने वाली राजग सरकार का कहना था कि उसे समूचे देश के लिए सूचना के अधिकार को लेकर कानून बनाने का वैधानिक अधिकार है और वह कानून केन्द्र व राज्य, दोनों के सरकारी प्रतिष्ठानों व अधिकारियों पर लागू होगा। यह दलील दी गई थी कि संविधान की सातवीं अनुशृंखी की सूचियों में से किसी भी विधायिका प्रविश्टि में सूचना के अधिकार का कोई विशिष्ट केन्द्रीय सरकार को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है, इसलिए केन्द्र सरकार सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाने में सक्षम है। इस व्याख्या के तहत एक बार केन्द्रीय कानून के अस्तित्व में आने के बाद राज्य सरकारों के अधिनियम निष्प्रभावी हो जाएंगे। बहरहाल, तत्कालीन केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने कानून रद्द करने के लिए कहा। किंतु अब यह स्पष्ट नहीं है कि नई केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या रुख होगा।
८. उपरोक्त तर्क की विपरीत दिशा में यह दलील भी दी जा सकती है कि राज्य और केन्द्रीय, दोनों ही सरकारों के पास सूचना के अधिकार पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि राज्य व केन्द्र की कानून बनाने की शक्तियों का विवरण देने वाली संवैधानिक सूचियां केवल उन्हीं मामलों से संबंधित नहीं हैं जो स्पष्ट तौर पर उनमें गिनाए गए हैं। वे उन मामलों के आनुशंशिक या सहायक विषयों के बारे में भी हैं³ तर्क के लिए कहा जा सकता है कि किसी सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेखित विषय से संबंधित सूचना तक पहुंच का प्रावधान सुनिश्चित करना उस विषय का एक ”आनुशंशिक“ या सहायक विषय है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विधायिका रेलवे परिवहन पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो वह रेलवे परिवहन के बारे में सूचना देने से संबंधित कानून बनाने की शक्ति भी रखती है। इस तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि:

 - (क) संघीय सूची में दर्ज विषयों पर सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है;
 - (ख) राज्य सूची में दर्ज विषयों के बारे में ठीक ऐसा ही अधिकार राज्य विधायिकाओं को है और इस आधार पर राज्यों के मौजूदा सूचना अधिकार कानून वैध हैं; और
 - (ग) सहवर्ती सूची में दर्ज विषयों के बारे में केन्द्र तथा राज्य, दोनों ही सूचना स्वतंत्रता कानून बना सकते हैं।

९. अगर पैरा ८ में किया गया विश्लेषण ठीक है, तो राज्य व संघीय सूची में दर्ज विषयों के बारे में कानून बनाने की सक्षमता का मामला व्यवहारिक स्तर पर स्पष्ट है। लेकिन, सहवर्ती सूची में आने वाले विषयों को लेकर अभी भी भ्रम हो सकता है। इस मामले में संवैधानिक कानून के सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहां किसी केन्द्रीय व राज्य कानून के बीच कोई टकराव होगा, वहां केन्द्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। पर इसके बावजूद, व्यवहार में सहवर्ती सूची के दर्ज विषयों पर काम करने वाले नौकरशाहों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे जानने की कोशिश करें कि क्या दोनों कानूनों में कोई टकराहट है, और अगर है तो उनके काम पर कौन से कानून का कौन सा भाग लागू होगा। भ्रम से बचने के लिए, केन्द्र को ऐसा कानून बनाने की जरूरत होगी जो ”दोनों क्षेत्रों को अपने दायरे में लेता हो“ और सहवर्ती सूची में शामिल विषयों से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच के बारे में एकमात्र कानून हो।
१०. कानून बनाने की सक्षमता को लेकर राज्य बनाम केन्द्र का मामला केवल भारत की ही विशेषता नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, सभी संघ हैं और प्रत्येक में दशकों से सूचना के अधिकार का कानून मौजूद है। हालांकि वहां की केन्द्रीय

³ स्टेट अप्र ब्रायस बनाम एफ. एन. बल्सारा (1951) एल. सी. आर. 682(बठ्ठदव मिंह बनाम आर्ड टी. सी. (1961) आई. एस. सी. आर. 482।

सरकारों ने अपने सूचना पहुंच कानून बनाए हैं, पर राज्यों/ प्रान्तों/ क्षेत्रों ने भी अपने-अपने सूचना अधिकार कानून पारित किए हैं। केन्द्रीय व राज्यों के अधिनियमों के बीच का संबंध आस्ट्रेलिया के संघीय कानून फ़्लीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट १९८२ तथा विक्टोरिया राज्य के फ़्लीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट १९८२ के प्रावधानों के तहत आने वाले क्षेत्रों से स्पष्ट हो जाता है:

- संघीय कानून: धारा ३ - इस अधिनियम का प्रयोजन कॉमनवेल्थ सरकार के पास मौजूद सूचनाओं तक आस्ट्रेलियाई समुदाय की अधिकतम पहुंच बनाना है....
- राज्य कानून: धारा ३ - इस अधिनियम का प्रयोजन विक्टोरिया राज्य की सरकार तथा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य के कानून के तहत गठित अन्य संस्थानों के पास मौजूद सूचनाओं तक समुदाय की अधिकतम पहुंच बनाना है.....

सिफारि १

-राज्य और कन्द्र, दाना का ही इस बात पर गभीरता स विचार करन की जरुरत है कि व कैस एक उपयुक्त सूचना अधिकार कानून विकसित करग। इन कानून क निर्माण म राज्या तथा कन्द्र क अधिकारा व भावितया क बार म सर्वांच्च न्यायालय स स्पश्टीकरण करन का निवदन किया जाना चाहिए। उसी क अनुसार कन्द्र सरकार का समव तौर पर मौजदा अधिनियम का मसौदा फिर स बनान पर विचार करना चाहिए, ताकि वह कानून कन्द्र सरकार की विधायिका भावितया क दायर क बाहर न जाए। और यदि इस सबध म कानून बनान का अधिकार कवल कन्द्र का है, ता कम स कम राज्य सरकारा क कानून म मौजद प्रगति गिल पहल रा द्वीय कानून म जरुर भासिल किए जाए।

सूचना स्वतंत्रता अधिनियम २००२ का विष्लेशण

शीर्षक व भूमिका

१९. इस कानून का नाम बदल कर ”सूचना अधिकार अधिनियम“ (राईट टू इनफर्मेशन एक्ट) किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार सूचना तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस विषय पर बने किसी भी कानून में यह सोच झलकनी चाहिए, ताकि कानून को लागू करने वाली संस्थाओं को ज्ञात रहे कि सूचना तक पहुंच किसी कृपालु सरकार द्वारा लोगों को दिया गया तोहफा नहीं, बल्कि उनका आधिकार है और इस अधिकार को कानूनी तौर पर कायान्वित करना सरकार का संविधान द्वारा आदेशित करत्व है।

१२. ठीक इसी भावना के अंतर्गत प्रस्तावना को भी फिर से और अधिक सुदृढ़ शब्दावली में लिखा जाना चाहिए। यह बहुत जरुरी है, क्योंकि अदालतें अक्सर कानून की व्याख्या करते समय प्रस्तावना पर गौर करेंगी। मौजूदा भूमिका की शब्दावली भ्रम पैदा करने वाली है और उसमें इस कानून की अनेकों कमियां साफ झलकती हैं। जैसे:

- इसमें सभी को नहीं, केवल ”नागरिकों“ को ही सूचना तक पहुंच का अधिकार दिया गया है (दखें पैरा १५) ;
- इसमें केवल ”सरकारी प्राधिकरणों“ का उल्लेख है। निजी संस्थान इसके दायरे में नहीं आते (दखें पैरा १६-१७) ;
- इसका घोषित उद्देश्य ”शासन“ की बजाय केवल ”प्रशासन“ में सुधार लाना है, जबकि शासन शब्द में सरकार के नौकरशाही संबंधी पहलुओं के साथ-साथ राजनीतिक पहलू भी आते हैं।

सिफारिश

- कानन का नाम बदल कर ”सचना अधिकार अधिनियम“ रखा जाना चाहिए।
- भूमिका का फिर से लिखा जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हा सक कि अधिनियम के उददब्ध हैं:
 9. सचना के मालिक अधिकार का पभावी बनाना इससे लाकत्र का सटूठीकरण, शासन में सधार, जन भागीदारी में वृद्धि, पारदर्शिता व जगवबद्दी में बढ़ातरी होगी। भट्टाचार कम होगा।
 2. सचना के अधिकार का पभावी बनान के लिए इस तरह के स्वचित्र तथा शासन-आदशित तत्व या पद्धतिया की स्थापना करना जिससे लागा का अपन अधिकार का उपयोग आर/ या उसकी रक्षा करन के लिए सरकारी व निजी संस्थाना से जरुरी जानकारी जल्द, कारगर, कम खोल आर उपयक्त तरीक से मिल सक।
 3. सभी सरकारी पारिकरणा व निजी संस्थाना में पारदर्शिता, जगवबद्दी आर पभावी अधिकारासन का पात्ताहित करना आर इसक लिए निम्न लक्ष्या हत सभी का शिक्षित व सशक्त करना कि:
 - लाग इस अधिनियम के तहत सावजनिक पतिष्ठाना व निजी संस्थाना के सदभ में अपन अधिकारा का उपयोग करन की समझ विकसित कर सक;
 - सावजनिक पतिष्ठाना के कियाकलापा व तत्र का समझ सक; आर
 - अपन अधिकारा का पभावित करन वाल सरकारी पतिष्ठाना की नियन्य पक्षिया में पभावी भागीदारी कर सक।

वर्तमान अधिनियम का पहला अध्याय-प्राथमिकी

धारा १

१३. धारा १ (३) के तहत अधिनियम के बनने की तिथि खास तौर पर अधिसूचित की जानी चाहिए। पर हाल ही का इतिहास गवाह है कि इस धारा के चलते एक कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बावजूद, १८ महीनों तक ठड़े बस्ते में डाला जा सकता है। यह बात समझ में आती है कि शायद सरकार कानून के कार्यान्वयन के लिए अपनी संस्थाओं को तैयारी का वक्त दे रही हो, पर इस मामले में सर्वथेष्ठ प्रचलन दर्शते हैं कि स्वयं अधिनियम में ही उसे लागू करने की अधिकतम समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए ताकि न तो उसके प्रावधानों का दुरुपयोग हो पाए और न ही कानून को अनंत काल के लिए ठड़े बस्ते में डाला जा सके। अनुभव बताता है कि कानून के पारित होने और उसे लागू किए जाने के लिए अधिकतम एक साल का समय पर्याप्त होता है (देखें मैक्सिको का उदाहरण)।

सिफारिश

- धारा १ (३) का सशाधित कर उसम अधिनियम का लाग किए जान की अधिकतम समयावधि शामिल की जानी चाहिए। आदश स्थिति में उस राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलन के फारन बाद ही लाग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि एसा सभव नहीं हा पाए, ता राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलन के बाद लाग हान म एक साल स ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए।

धारा २

१४. धारा २ में अधिनियम की परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन फिलहाल वे कुछ भ्रामक रूप में वर्णित हैं। परिभाषा करने वाले कुछ खण्डों को हटाने और/ या फिर से लिखे जाने पर विचार करना चाहिए। बहुत जरुरी है कि इन परिभाषाओं को इस तरह सावधानीपूर्वक लिखा जाए कि वे अधिनियम के दायरे को अधिकतम विस्तार दें और जाने-अनजाने प्रासांगिक सूचनाओं को इस कानून के प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रखें। विशेष तौर पर:

- “सूचना की स्वतंत्रता“ की परिभाषा को शामिल करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, अधिक उपयुक्त होगा कि इस खंड के अधिकांश हिस्से को वर्तमान धारा ३ में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा, निरंतरता व स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए ”सूचना की स्वतंत्रता“ के स्थान पर समूचे अधिनियम में ”सूचना के अधिकार“ का प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचना तक पहुंच प्रदान करने के तरीकों/रूपों का वर्णन करने से संबंधित परिभाषा वाले हिस्से को कानून के मुख्य कलेवर में रखना कहीं ज्यादा उचित होगा। इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए इस दस्तावेज का पैरा २८ देखें।
- ”सार्वजनिक प्राधिकरण“ की परिभाषा बहुत संकीर्ण है।
 - हालांकि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले संस्थानों को शामिल करने से एक हद तक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली निजी या अर्ध-सरकारी संस्थाएं अधिनियम के दायरे में आ जाती हैं, लेकिन इस कानून

के दायरे में ”सरकार की ओर से सार्वजनिक क्रियाकलापों का दायित्व वहन करने वाली संस्थाओं“ को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब सरकार निरंतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का काम दूसरों को सौंप रही है, बल्कि कई मामलों में तो उनका निजीकरण कर रही है – जैसे बिजली, टेलिफोन तथा परिवहन क्षेत्र – वैसे में जरुरी है कि इस सब के बावजूद भी इन सेवाओं से संबंधित सूचनाओं तक जनता की पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

- यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह अधिनियम सरकार के तीनों अंगों: कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका पर भी लागू होता है। कुछ निर्धारित विषयों/ मामलों में उन्हें छूट दी जा सकती है। हालांकि संविधान द्वारा स्थापित संस्थानों से संबंधित प्रावधान के दायरे में सरकार के ये तीनों ही अंग आ जाने चाहिए, फिर भी भ्रम से बचने के लिए इस बात को स्पष्ट कर देना ही उचित होगा।

- ”सूचना“ को ”किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रशासन, क्रियाकलापों तथा निर्णयों“ से संबंधित सूचनाओं के रूप में परिभासित कर उसे अनावश्यक रूप से संकीर्ण बना दिया गया है। इस संबंध में समूचे कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ प्रचलन बताते हैं कि ज्यादातर अधिनियमों में बस किसी संस्थान ”के पास या उसके नियन्त्रण में मौजूद सूचना तक पहुंच“ का ही उल्लेख किया गया है।

सिफारिश

- ”सूचना की स्वतंत्रता“ की परिभाषा का हटा दिया जाना चाहिए ताकि उसक पावधान का सूचना के अधिकार तथा पहुंच के विविध रूप का वर्णन करने वाल एक नए पावधान सहित धारा ३ म शामिल किया जा सका।
- ”सार्वजनिक संस्थान“ की परिभाषा का अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि उसक दायर म सरकार क सभी अगा सहित ”सरकार की आर स सार्वजनिक क्रियाकलापों का दायित्व वहन करने वाल संस्थान“ भी आ सका।
- ”सूचना“ की परिभाषा का भी अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि ”सरकार क पास या उसक नियन्त्रण म माजद“ काह भी सूचना उस परिभाषा क दायर म आ सका।

वर्तमान अध्याय २- सूचना की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों का कर्तव्य

धारा ३

१५. वर्तमान अधिनियम की धारा ३ इस अधिकार को केवल नागरिकों तक सीमित कर देती है। अधिनियम के दायरे को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि इसमें कानून के तहत सभी लोगों को सूचना तक पहुंच का अधिकार मिल सके, चाहे वे नागरिक हों, निवासी या फिर गैर-नागरिक (जैसे शरण चाहने वाले)। इस मामले में अनेकों कानूनों में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों व तौर-तरीकों के अनुकरण का रास्ता अपनाया गया है। इसमें दो ऐसे देश - अमेरिका और स्वीडन - भी शामिल हैं जिनके सूचना तक पहुंच से संबंधित कानून सबसे पुराने हैं। इस परिवर्तन के लिए धारा २ में ”व्यक्ति“ की परिभाषा शामिल करने की जरूरत हो सकती है।

१६. अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि उसके दायरे में किसी अधिकार के उपयोग या सुरक्षा के लिए जरुरी उन सूचनाओं को भी शामिल किया जा सके जो निजी संस्थानों के पास मौजूद हैं। वर्तमान में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की निजी संस्थानों की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्रियाकलाप निजी संस्थानों को सौंपे जा रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अपनी आर्थिक विकास रणनीति के तहत भारत आगे भी महत्वपूर्ण सेवाओं के निजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगा। इस संदर्भ में यह बात स्वीकार नहीं कि जा सकती कि जनता के अधिकारों को इतना अधिक प्रभावित करने वाले ये निजी संस्थान मात्र अपने निजी संस्थान होने के कारण सार्वजनिक निगरानी के दायरे से बाहर रखे जाएं। इस संबंध में एक टिप्पणीकार ने बिल्कुल सही कहा है कि सूचना अधिकार कानून का दायरा ”नागरिकों के मौलिक हितों की रक्षा करने में इसकी भूमिका के संदर्भ में तय होना चाहिए, न कि विवादित सूचना रखने वाले संस्थान के उद्दाम या उसकी संरचनात्मक विशिष्टताओं के संदर्भ से।“⁴

⁴ लियल, डी: (2003) ”द नीड एण्ड वल्यू आप एक्सेस टू इनफर्मेशन फार्म बाल-स्टट एजंसीज“, लीएचआरआई, अप्रकाशित, पृ. १।

१७. दक्षिण अफ्रीका का प्रोमोशन ऑव एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट २००० (च्यप) का भाग ३ इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। गौरतलब है कि यह कानून एक ऐसे विकासशील देश द्वारा बनाया गया है जिसके सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियां लगभग भारत सरकार जैसी ही हैं। अतः यह कहना निरर्थक होगा कि इस सर्वश्रेष्ठ तरीके को भारत में नहीं अपनाया जा सकता। हमारा सुझाव है कि निम्न आधार पर एक नई धारा ३ का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए:

(१) इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्न के पास या उसके नियंत्रण में मौजूद सूचना तक पहुंच पाने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त है:

(क) सरकारी प्राधिकरण (ऊपर ऐरा १४ की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए धारा २ में वी गई परिभाषा के अनुसार);

(ख) किसी अधिकार के उपयोग या उसकी रक्षा के लिए आवश्यक सूचना की स्थिति में निजी संस्थान।

सिफारिश

- नागरिक ही नहीं, बल्कि सभी लागा का सचना का अधिकार पदान करन के लिए धारा ३ का संशाधित किया जाना चाहिए।

-धारा ३ के दायर का इस तरह व्यापक बनाया जाना चाहिए कि उसम "किसी निजी संस्थान के पास या उसके नियंत्रण में माजद एसी सचना जा किसी अधिकार के उपयोग या उसकी रक्षा के लिए आवश्यक ह" तक पहच का अधिकार भी शामिल हा सका। इसके लिए धारा २ में "निजी संस्थान" की परिभाषा का शामिल करन की जरुरत हा सकती ह।

धारा ४

१८. सरकारों के पास सूचनाओं का विशाल भंडार होता है। वैसे में मांगी गई सूचनाओं को अधिकारियों द्वारा खोजने और उन्हें समय पर तेजी से उपलब्ध कराने के लिए जरुरी है कि सूचनाओं का कुशल प्रबंधन किया जाए। इस संदर्भ में सकारात्मक बात है कि धारा ४ (क) सभी प्राधिकरणों से अपने रिकार्ड की उचित साज-संभाल करने की मांग करती है। पर इसके बावजूद, धारा ४ (क) में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए कि कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड रखने व उसके प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्थाएं करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में पाकिस्तान का फ्रीडम ऑव इनफर्मेशन ऑर्डर्नेस २००२ उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसमें खास तौर पर कहा गया है कि संस्थानों के लिए रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण तथा सूचना व्यवस्थाओं का नेटवर्क तैयार करना जरुरी है। इस उद्देश्य के लिए किसी उपयुक्त संस्थान को रिकार्ड प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश या संहिता तैयार करने के लिए अधिकृत करने की बात पर विचार किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में ऐसा किया गया है। वहां फ्रीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट २००० की धारा ४६ के तहत रिकार्ड प्रबंधन संबंधी आचार संहिता तैयार करना लॉड चांसलर का दायित्व है।

पाकिस्तान: धारा ६, रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण - प्रत्येक संस्थान उपयुक्त समय तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रयास करेगा कि इस अध्यादेश के प्रावधानों के दायरे में आने वाले सभी रिकार्ड कंप्यूटरीकृत हों तथा देश भर में विभिन्न तंत्र एक नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ें हों ताकि इन रिकार्डों तक अधिकृत पहुंच आसान हो सके।

१९. यह भी एक सकारात्मक बात है कि धारा ४ (ख) इस अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों से स्वयं अपनी पहल पर सूचनाओं को सार्वजनिक करने की मांग करती है। तब भी, सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपनी पहलकदमी पर सार्वजनिक व प्रचारित की जाने वाली सूचनाओं की विषय सूची को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैक्रिस्को का फेडरल ट्रांसपरेसी एण्ड एक्सेस टू पब्लिक गर्वन्मेंट लॉ २००२ (अनु) हमारे विचारार्थ एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है:

इस कानून द्वारा गुप्त या गोपनीय घोषित सूचनाओं के अलावा, इस कानून के तहत आने वाले संस्थानों/ कर्ताओं के लिए निम्न सूचनाओं को अधिनातन (अपडेट) बनाए रखना व उन्हें सार्वजनिक करना अनिवार्य है:

१ उनकी संवैधानिक बनावट;

२ प्रत्येक प्रशासनिक इकाई की शक्तियां;

३ विभागाध्यक्ष या उसके समकक्ष से लेकर अधीनस्थ जन सेवकों तक की एक डायरेक्ट्री;

४ समान स्थिति में निर्धारित मुआवजा व्यवस्था सहित प्रत्येक पद के लिए प्राप्त होने वाला मासिक पारिश्रमिक;

५ संपर्क विभाग के पते के साथ-साथ वह इलेक्ट्रोनिक पता जिस पर सूचना के निवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं;

६ अपनी संचालन योजनाओं के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों के लक्ष्य व उद्देश्य;

७ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

८ उनकी पद्धतियां, जरुरतें तथा स्वरूप;

६ प्रत्येक एजेंसी के लिए तथ बजट के बारे में सूचना तथा संघ के व्यय बजट द्वारा निर्धारित अर्थों में उसके वितरण की रपटें। कार्यकारिणी शाखा के संदर्भ में प्रत्येक एजेंसी तथा इकाई के बारे में ये सूचनाएं कोश व सार्वजनिक ऋण सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। वही बजट द्वारा तय किए गए अर्थों में जनता को आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त तथा सार्वजनिक ऋण के बारे में अवगत कराएगा;

१० कानून के तहत आदेशित किसी संस्थान/ कर्ता पर लेखा नियंता व प्रशासनिक विकास सचिवालय, आंतरिक लेखा परीक्षक या संघ के प्रवर लेखा नियंता-निःस्थिति में जो भी उपयुक्त अधिकारी हो- द्वारा पूरी की गई लेखा परीक्षा के परिणाम और ऐसे मामलों की व्याख्याएं;

११ सब्सिडी कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके कार्यान्वयन के साथ-साथ उनके लिए आवंटित राशियां तथा उन तक पहुंच की कसौटियां;

१२ सभी प्रदान की गई छूटों, परमिटों तथा प्राधिकरणों व उन्हें पाने वालों का विवरण;

१३ लागू होने वाले कानून की शर्तों के तहत दिए गए सभी अनुबंध और प्रत्येक का निम्नानुसार विस्तृत विवरण:

(क) सार्वजनिक कार्य, हासिल की गई या किराए पर ली वस्तुएं तथा अनुबंधित सेवा; अध्ययनों व शोध के संबंध में विषय का उल्लेख होना चाहिए;

(ख) राशि;

(ग) उस सेवा प्रदाता, संविदाकार या शारीरिक या नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति का नाम जिसे अनुबंध या संविदा दी गई है; और

(घ) अनुबंध पूरा होने की अवधियां।

१४ कानून द्वारा आदेशित प्रत्येक संस्थान/ कर्ता पर लागू होने वाले मानदंड;

१५ कानून के तहत प्रत्येक संस्थान/ कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रपट;

१६ जिन मामलों में नागरिक भागीदारी की व्यवस्था मौजूद है, वहां उस व्यवस्था का विवरण;

१७ जनता द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने वाले सांख्यिकीय सर्वेक्षणों पर आधारित सूचनाओं के अलावा कोई भी अन्य सूचना जो उपयोगी या प्रासंगिक समझी जाए।

यह अनुच्छेद जिन सूचनाओं का उल्लेख करता है, उन्हें इस रूप में सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोग उन्हें समझ सकें और उनका उपयोग कर सकें। इन सूचनाओं की गुणवत्ता, सत्यता, सामयिकता तथा विष्वसनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए।

२०. धारा ४ (ख) के तहत यह भी स्पष्ट रूप से जरुरी किया जाना चाहिए कि सभी सार्वजनिक संस्थान सूचनाओं को इस तरह प्रकाशित करें कि जनता न्यूनतम कष्ट उठा उन तक अधिकतम पहुंच बना सके। ये सूचनाएं स्थानीय भाषा में प्रत्येक संस्थान के वैबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए और जनता के अवलोकन के लिए उनकी एक प्रति (निशुल्क) संस्थान के मुख्यालय पर ही नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक कार्यालय में प्रदर्शित होनी चाहिए। सूचनाओं को अपडेट करने की एक अधिकतम समयावधि रखी जानी चाहिए। संभव हो तो हर ६ महीने बाद, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं। शुरुआती कोशिश में निवेश लाभकारी होगा, क्योंकि इससे अंततः सूचना के लिए आने वाले निवेदनों की संख्या में कमी आएगी। लोग सार्वजनिक संस्थानों को निवेदन भेजे बगैर ही आसानी से रोजमर्रा की सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना सकेंगे।

२१. धारा ४ (ग) तथा (च) को भी स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। यह प्रशंसनीय बात है कि सरकार अपनी पहल पर लोगों को विकासपरक क्रियाकलायों तथा सरकार के नियमों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। लेकिन इन विषयों के दायरे में आने वाली सूचनाओं की विशालता को देखते हुए, ज्यादा उपयोगी होगा कि नियमों या स्वयं अधिनियम में दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जाएं, जिससे अधिकारियों को अधिक स्पष्ट हो सके कि न्यूनतम स्तर पर किन सूचनाओं का

पहलकदमी के साथ कब, कैसे, कितनी बार और किन तक प्रसार करने की जरुरत है। इस तरह के दिशानिर्देश विभिन्न गतिविधियों या प्रासंगिक निर्णयों की विषय वस्तु के आकार और/या लागत के अनुसार प्रसार संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को भी निर्धारित कर सकते हैं।

सिफारिश

- धारा ४ (क) का सशाधित कर हर सार्वजनिक संस्थान क लिए जरुरी कर दना चाहिए कि वह "इस तरह अपन रिकाड का साज-सभाल कर जिसस इस अधिनियम म पदत्त सचना का अधिकार ससाध्य बना।" इसम संस्थाना द्वारा अपन रिकाड क कप्टरीकरण करन, सचना व्यवस्थाआ का नटवक तथार करन की बात भी शामिल ह। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि काइ संस्था रिकाड रखन तथा उनक पबधन क सबध म दिशानिदश तयार कर आर अधिनियम क दायर म आन वाल संस्थान अनिवायतः उनका पालन कर।
- सार्वजनिक संस्थाना का अपनी पहलकदमी पर सचनाआ का सार्वजनिक करन क जा दायेत्व साप गए ह, उनका आर अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।
- सचना का पकाशित करन क तरीक स सबधित एक अतिरिक्त धारा अधिनियम म शामिल की जानी चाहिए:
- "इस धारा क पयाजन हत सचना का व्यापक आर इस तरह पकाशन हना चाहिए कि वह जनता का आसानी स सलभ हा सका "पकाशन" का अथ ह जनता का उपयक्त तरीक स सचना दना। सचना नाटिस बाड, समाचार पत्रा, सार्वजनिक शाष्याआ, भीडिया पसारणा, इटरनट आर इसी तरह क अन्य तरीका स सपशित की जानी चाहिए। इसम सभी संस्थाना क सर्भी कायालया म सचनाआ क जन-अवलाकन की व्यवस्था भी शामिल ह। सभी सामगी स्थानीय भाषा तथा उस स्थानीय क्षत्र क सार्वाधिक पभावी सपष्ट माध्यम का ध्यान म रखत हए पकाशित की जानी चाहिए।"
- एक अतिरिक्त वाक्याश जाडा जाना चाहिए कि संस्थान अपनी सचनाआ का हर ६ महीन बाद अपडट करग।
- इस बात का स्पष्ट किया जाना चाहिए कि व्यवहार म धारा ४ (ग) व (च) किस तरह कायान्वित हागी।

शामिल करें: नया- अध्याय ३- सूचना हेतु निवेदन करने की पद्धतियां

धारा ५

२२. यह एक सकारात्मक पहलू है कि अधिनियम की धारा ५ में सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। सार्वजनिक संस्थानों में सूचना प्रबंधन तथा उसकी सुलभता में वुछि करने की विशिष्ट जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कानून के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन, धारा ५(१) में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को केवल मुख्यालय नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर नामांकित किया जाएगा। केन्द्रीय कानून के संदर्भ में जरुरी है कि दूरदराज के क्षेत्रों व राज्यों के लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर ही अपने निवेदन देने और उन पर हुई कारंवाई को जानने की व्यवस्था हो। महाराष्ट्र के सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ५(१) के अलावा दक्षिण अफ्रीका के प्रोमोशन ॲव एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट २००० की धारा १७ भी इस संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना अधिकारी के अधिकार किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति को देने की स्थिति में, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले प्रतिनियुक्त अधिकारी को भी वही दंड मिलेंगे जो ऐसा करने पर सार्वजनिक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक इसी तरह, किसी सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निवेदन पर उसकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी भी कानून की पालना न करने की स्थिति में दंड के भागी होंगे।

महाराष्ट्रः

१. प्रत्येक सक्षम प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने अधीन आने वाली प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यालयों में एक या अधिक अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा;
२. प्रत्येक सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना मांगने संबंधी निवेदनों का निपटारा करेगा और इस तरह की सूचना मांगने वाले व्यक्ति की उपयुक्त सहायता करेगा;
३. अपने कर्तव्यों की पालना के लिए आवश्यक लगने की स्थिति में सार्वजनिक सूचना अधिकारी अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी की सहायता की मांग कर सकता है।

- सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने उपधारा (३) के अंतर्गत जिस अधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांगी है, वह सार्वजनिक सूचना अधिकारी को सहायता प्रदान करेगा।

दक्षिण अफ्रीका

- इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान, संबंधित सार्वजनिक संस्थान के कर्मियों के रोजगार को संचालित करने वाले कानून के तहत इन्हीं संघ्यों में लोगों को उप सूचना अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा जितने उस सार्वजनिक संस्था के रिकार्ड तक तर्कसंगत रूप से संभव पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं।
- किसी सार्वजनिक संस्थान के हर उप-सूचना अधिकारी पर उस संस्थान के सूचना अधिकारी का दिशा निर्दर्शन व नियंत्रण होगा।
- किसी सार्वजनिक संस्थान का सूचना अधिकारी इस अधिनियम द्वारा स्वयं को सौंपी गई किसी शक्ति या कर्तव्य को उस सार्वजनिक संस्थान के उप-सूचना अधिकारी को सौंप सकता है।
- उपधारा (३) के तहत यह निर्णय करते समय कि शक्ति या कर्तव्य किसी अन्य को सौंपा जाना चाहिए, सूचना अधिकारी उस सार्वजनिक संस्था के रिकार्ड तक तर्कसंगत रूप से संभव पहुंच उपलब्ध कराने की जरूरत पर उपयुक्त विचार करेगा।
- उपधारा (३) के तहत सौंपे गए किसी भी कर्तव्य या शक्ति का प्रयोग, उन्हें सौंपने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझी गई स्थितियों के अंतर्गत ही किया जाएगा।
- उपधारा (३) के अंतर्गत किसी को भी शक्ति या कर्तव्य
 - लिखित में सौंपा जाना चाहिए;
 - सौंपना उस सूचना अधिकारी को अपनी संबंधित शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन से नहीं रोकता; और
 - जिसे किसी सूचना अधिकारी ने अन्य को सौंपा है, उसी सूचना अधिकारी द्वारा लिखित में वापस लिया जा सकता है या वह उसमें संशोधन कर सकता है।
- उपधारा (३) के अंतर्गत किए गए कर्तव्य या शक्ति सौंपने के निर्णय के परिणाम स्वरूप हासिल किसी अधिकार या विशेषाधिकार, या उसके कारण पैदा हुई बाध्यता या दायित्व पर बाद में उस निर्णय को वापस लेने या उसमें संशोधन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सिफारिश

- अधिनियम में एक नह थारा जाड़ी जानी चाहिए कि सार्वजनिक संचना अधिकारी पचायत, जिला, तालका तथा ब्लाक स्टरा पर नियकत किए जाएं। जनता के लिए संचनाओं का अधिकतम रूप से सलभ बनान के लिए जरुरी हान पर सार्वजनिक संचना अधिकारी के कियाकलापा का किसी अन्य का सापन की इजाजत हाँगी।
- परिनियक्ति के पावधान का पारप इस तरह तयार किया जाना चाहिए कि स्पष्ट हा जाए कि सार्वजनिक संचना अधिकारी न जिन व्यक्तिया आर अधिकारिया की सहायता लेन का निवेदन किया ह, कानन का पालन करन म असफल रहन पर उन पर भी वही अपराध व दड व्यवस्था लाग हाँगी जा सार्वजनिक संचना अधिकारी पर हाती ह।

धारा ६

- धारा ६ में बताया गया है कि सूचना के लिए निवेदन कैसे किया जाए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों व प्रचलनों की मांग है कि पहुंच पद्धतियां सरलतम होनी चाहिए और इस तरह बनाई जानी चाहिए कि समुदाय के सभी सदस्य- चाहे वे अशिक्षित, विकलांग या सत्ता केन्द्रों से भौगोलिक रूप से दूर हों- उनका आसानी से प्रयोग कर सकें। अधिनियम में एक और सकरात्मक बात यह है कि इसमें सार्वजनिक सूचना अधिकारी को मौखिक निवेदनों को लिखित रूप देने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही इसमें निवेदन के लिए किसी विशेष फार्म का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं किया गया है। किसी खास फार्म पर ही निवेदन करने की अनिवार्यता, पहुंच में एक बाधा

ही बनेगी, क्योंकि संभव है कि निर्धारित फार्म कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध न हों। उदाहरण के लिए, संभव है कि वे उसे इंटरनेट से डाउनलोड न कर सकते हों या फिर वे किसी ऐसे सरकारी कार्यालय के निकट न रहते हों जहां से वह फार्म हासिल किया जा सकता है। मात्र इतना ही पर्याप्त होना चाहिए कि निवेदनकर्ता अपने निवेदन में संबंधित सूचना के बारे में इतने विवरण उपलब्ध करा दें कि उस सूचना को पहचाना और खोजा जा सके।

२४. संस्थानों द्वारा निवेदन हासिल कर लिए जाने के बाद, उनके लिए रसीद देना व्यवहारिक रूप से उपयोगी होगा। इससे निवेदनकर्ताओं के पास अपना निवेदन जमा कराने की तारीख का लिखित सुबूत होगा और साथ ही उस निवेदन पर लागू होने वाली संबंधित संस्थान की समयावधि की लिखित स्वीकृति भी। रसीद में शुल्क प्राप्ति का भी उल्लेख होना चाहिए (शुल्क के बारे में अधिक चर्चा के लिए देखें पैरा २६-२७)। इस कानून का इस्तेमाल करने वालों के लिए निवेदन प्रक्रिया को अधिकतम रूप से आसान बनाने के लिए धारा ६ में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निवेदनकर्ता किसी भी भारतीय भाषा में निवेदन दे सकते हैं। उस निवेदन को अनुदित करने का दायित्व संबंधित सार्वजनिक संस्थान का होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी में ही निवेदन देने की शर्त रखने का व्यवहारिक अर्थ होगा, लाखों-लाख लोगों को इस कानून के प्रयोग से वंचित करना।

२५. धारा ६ में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निवेदनकर्ताओं को अपने निवेदनों के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। इससे महाराष्ट्र जैसा मामला दौहराया नहीं जाएगा। वहाँ के अधिनियम के अनुसार निवेदन का कारण बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन नियमन के जरिए निर्धारित किए गए फार्म में यह शर्त रख दी गई है। अधिकारियों के लिए इस आधार पर निवेदनों को रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि वे निवेदक द्वारा सूचना मांगने के लिए बताए गए कारण से संतुश्ट नहीं हैं। कॉमनवेल्थ के अधिकार्श अधिनियमों में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख है कि निवेदक को कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश

- अधिनियम में एक नया वाक्यांश जाड़ा जाना चाहिए जिसके तहत निवेदक का उनके निवेदन की रसीद दना अनिवाय होना चाहिए। इस रसीद में निवेदन पात छान की तिथि, निवेदन का उत्तर दिए जाने की तिथि आर यदि काइ शुल्क दिया गया है, तो उसके विवरण शामिल होना चाहिए।
- एक नया वाक्यांश जाड़ा जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट किया जाए कि निवेदन किसी भी आधिकारिक भारतीय भाषा में दिए जा सकते हैं।
- एक नया वाक्यांश जाड़ा जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट किया जाए कि निवेदक का अपने निवेदन में काइ कारण बताना आवश्यक नहीं है।

धारा ७

२६. ऐसा जान पड़ता है कि धारा ७ सूचना पाने के लिए शुल्क लगाने की इजाजत देती है। सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों व प्रचलनों के अनुसार, सूचनाओं तक पहुंच के लिए, विशेषकर सरकारी सूचनाओं तक, कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सूचना प्रदान करने की लागत जनता द्वारा दिए गए करों से ही पूरी हो जानी चाहिए। कम से कम निवेदन शुल्क तो नहीं ही लगाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती काम केवल सूचना को खोजने और उसके सार्वजनिक किए जाने की स्थिति में उसकी संवेदनशीलता का आकलन करने का है। यह काम सरकार का रुटीन व अपेक्षित काम है। त्रिनिदाद व टोबागो में यही चलन है। वहाँ फ़्रीडम ऑफ़ इनफर्मेशन एक्ट १९६६ की धारा १७(१) में विशेष तौर पर कहा गया है कि निवेदनों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इस अधिनियम की धारा १७(३) इससे भी आगे जाती है। उसके अनुसार शुल्क के अनिवार्य होने की स्थिति में भी अगर अधिनियम के तहत आने वाला कोई संस्थान निर्धारित समयावधि के भीतर वह सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता है जिसे पाने का निवेदक हकदार है, तो उसे निशुल्क वह सूचना पाने का अधिकार होगा। अगर शुल्क लगाया ही जाना है, तो उसकी दरें तय करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे इतनी अधिक न हों कि संभावित निवेदकों को निवेदन करने से निरुत्साहित करें। शुल्क केवल लागत बसूलने के लिए लगाया जाना चाहिए, किसी अतिरिक्त लाभ के लिए नहीं। इसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। शुल्क केवल दस्तावेजों की प्रतिलिपियों पर आने वाले व्यय के लिए ही लगाया जाना चाहिए, उन्हें खोजने व संकलित करने में लगे समय की लागत के लिए नहीं। खोजने व संकलित करने में लगे समय के आधार पर शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप, लागत सूचना देने की बजाय, सूचना न देने पर आएगी, खासकर उस स्थिति में जहां नौकरशाही शुल्क बढ़ाने के लिए जानबूझ कर सूचना खोजने व संकलित करने में विलंब करेगी।

२७. जिन स्थितियों में सूचना जनहित में है यानी जहां सूचना देने व उसके प्रसार से लोगों का कोई बड़ा समूह लाभान्वित होता है या जहां वैसा न करने से अधिनियम के उददेश्य परास्त होते हैं (उदाहरण के लिए, जहां अन्यथा गरीब लोग महत्वपूर्ण सूचना पाने से वंचित रह जाएंगे), वहां अधिनियम के तहत लगाए शुल्क को माफ करने के प्रावधान होने चाहिए। सूचना तक पहुंच बनाने वाले कानूनों में इस तरह के प्रावधान नियमित रूप से शामिल करने का प्रचलन है ताकि शुल्क किन्हीं मामलों में सूचना तक पहुंच बनाने में व्यवहारिक रूप से बाधा न बने। कानून के कार्यान्वयन का दायित्व वहन करने वाले अधिकारियों को दिशानिर्देश देने के लिए "जनहित" की परिभाषा अधिनियम में शामिल की जा सकती है। इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया के फ्रीडम ऑफ इनफर्मेशन एक्ट की धारा २६(५) एक उपयोगी व आदर्श उदाहरण हो सकती है:

आस्ट्रेलिया: शुल्क घटाया जाना है या नहीं और शुल्क लगाना है या नहीं, इस बारे में निर्णय लेते समय एजेंसी या मंत्री मामलों को सीमित किए बौगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे:

- (क) क्या शुल्क या उसके एक भाग की अदायगी निवेदक या उस व्यक्ति के लिए, जिसकी ओर से निवेदन किया गया है, कोई आर्थिक कठिनाई पैदा करेगी; और
- (ख) क्या संबंधित दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करना सामान्य जनहित या जनता के एक बड़े हिस्से के हित में है।

सिफारिशें

- निवेदन के समय शुल्क देने के प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए।
- सूचना पाने के लिए शुल्क देने के प्रावधान के संबंध में एक नया वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि शुल्क "तर्कसंगत होगा, सूचना की प्रतिलिपियां तैयार करने- उनकी फोटोकॉपी कराने या प्रिंट आउट लेने- पर आने वाली लागत से अधिक नहीं होगा और इस सामान्य सिवायांत्र को ध्यान में रखते हुए नियमों के जरिए उसकी अधिकतम सीमा तय की जाएगी कि वह इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि व्यवहार में अधिनियम के उद्देश्यों को परास्त करे और निवेदकों को निरुत्साहित।"
- एक नया वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि "अगर अधिनियम के तहत आने वाला कोई संस्थान सूचना-जिस पर निवेदक का हक है- को सार्वजनिक करने की अवधि का सम्मान नहीं करेगा, तो निवेदक निशुल्क सूचना पाने का हकदार होगा।"
- एक नया वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए जिसमें निवेदक को आर्थिक कठिनाई आने या सूचना सामान्य जनहित में होने की स्थिति में शुल्क को माफ करने का प्रावधान होना चाहिए।

नई धारा जोड़ें- पहुंच का रूप

२८. जैसा कि पैरा १४ में कहा गया, अधिनियम की धारा २ में "सूचना की स्वतंत्रता" की वर्तमान परिभाषा के हिस्सों में से बुलेट पॉइंट ९ को वहां से हटा कर प्रदत्त सूचना के स्वरूप से संबंधित धारा ७ के साथ रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पहुंच के वर्तमान रूपों को अधिक व्यापक किया जाना चाहिए और उनमें कामों के निरीक्षण के साथ कुछ मामलों में अनुवाद व रिकार्ड के वैकल्पिक रूपों के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में दिल्ली के राईट टू इनफर्मेशन एक्ट की धारा २(१) तथा कनाडा के एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट की उपधारा १२(२) व (३) उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं:

दिल्ली: "सूचना के अधिकार में.....कार्यों, दस्तावेजों, रिकार्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट या उनके अंशों की टीपें लेना तथा दस्तावेजों व रिकार्डों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल करना या सामग्री के नमूने लेना शामिल है।"

कनाडा: (२) जहां इस अधिनियम के तहत किसी रिकार्ड या उसके किसी अंश तक पहुंच प्रदान की जानी हो और पहुंच चाहने वाला व्यक्ति किसी खास आधिकारिक भाषा में पहुंच प्रदान करने का निवेदन करे, उस स्थिति में उस व्यक्ति को रिकार्ड या उसके अंश की प्रतिलिपि उसी भाषा में दी जाए।

(क) यदि वह रिकार्ड या उसका अंश सरकारी नियंत्रण में पहले से ही उस भाषा में मौजूद है, तो तुरंत; या

(ख) जिस सरकारी संस्थान के नियंत्रण में वह रिकार्ड है, अगर उसके मुखिया को जनहित में लगता है कि उस रिकार्ड का अनुवाद कराया जाना चाहिए, तो उपयुक्त अवधि के भीतर।

(३) जहां इस अधिनियम के तहत किसी रिकार्ड या उसके किसी अंश तक पहुंच प्रदान की जानी हो और पहुंच वाहने वाला व्यक्ति किसी इंद्रियगत अक्षमत से प्रभावित हो और किसी वैकल्पिक रूप में सूचना का निवेदन करता हो, उस स्थिति में उसे वैकल्पिक रूप में उस रिकार्ड या उसके अंश की प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी।

(क) यदि वह रिकार्ड या उसका अंश सरकारी नियंत्रण में पहले से ही उस व्यक्ति के चाहे गए रूप में मौजूद है, तो फौरन; या

(ख) जिस सरकारी संस्थान के नियंत्रण में वह रिकार्ड है, अगर उसके मुखिया को लगता है कि इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को अपने सूचना के अधिकार के उपयोग में समर्थ बनाने के लिए उसे वैकल्पिक रूप में रिकार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है और रिकार्ड को उसके चाहे रूप में बदलना तर्कसंगत, तो उपयुक्त अवधि के भीतर।

२६. अधिनियम की धारा ७(३) में एक बहुत सकारात्मक प्रावधान है कि निवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में निवेदक को तस्वीरधी कारणों व अपील करने के उसके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि नोटिस में दी गई सूचना के आधार पर निवेदक निर्णय कर सकेगा कि आगे अपील की जाए या नहीं। इस संदर्भ में मौजूदा प्रावधान को परिष्कृत किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि संपूर्णतः सुनिश्चित हो सके कि अधिकारीगण निवेदकों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएं। इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया का फ्रीडम ऑफ इनफर्मेशन एक्ट १९८२ एक उदाहरण प्रस्तुत करता है:

जहां किसी निवेदन के संबंध में निवेदन के अनुसार किसी दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने से इंकार करने या किसी दस्तावेज तक पहुंच के विलंबन का निर्णय किया जाता है, निर्णयकर्ता इस निर्णय का लिखित नोटिस निवेदक को देगा तथा नोटिस:

(क) किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रब्लॉम्स से संबंधित निष्कर्षों, जिस सामग्री के आधार पर वे निष्कर्ष निकाले गए तथा निर्णय के कारणों का उल्लेख करेगा;

(ख) अगर निर्णय किसी एजेंसी के दस्तावेज से संबंधित है, तो निर्णय लेने वाले व्यक्ति के नाम व पद का उल्लेख करेगा; और

(ग) निम्न के संदर्भ में निवेदक को उपयुक्त सूचनाएं देगा:

(१) निर्णय की समीक्षा से संबंधित निवेदक के अधिकार;

(२) निर्णय के संबंध में ऑमबडसमैन से शिकायत करने के निवेदक के अधिकार; और

(३) उपरैरा (१) व (२) में उल्लेखित अधिकारों को अमल में लाने की पद्धति; और (जहां व्यवहार्य हो) उस तौर-तरीके के विवरण जिनमें धारा ५४ (आंतरिक समीक्षा से संबंधित) के तहत निवेदन किया जाना है।

३०. निर्णय को अधिसूचित किए जाने से संबंधित धारा ७(३) को व्यापक बनाते हुए आंशिक रूप से अस्वीकृत किए गए निवेदनों (धारा १० में इस तरह का प्रावधान है) को भी उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह स्वीकृत निवेदनों के मामले में भी नोटिस में निवेदनकर्ता को शुल्क लगाने व उसके निर्धारण तथा सूचना उपलब्ध कराने के रूप के बारे में किए गए प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील करने के उसके अधिकारों के बारे में सूचनाएं दी जानी चाहिए।

सिफारिश

- उन रुपा का बणन करन वाली एक नई धारा जाड़ी जानी चाहिए जिनम अधिनियम के तहत सचनाआ तक पहच उपलब्ध कराइ जानी ह आर उन रुपा का दायरा जितना सभव हा सक, उतना व्यापक हाना चाहिए। धारा म सामग्रिया क नमन लन, अश पास करन की विशेष स्वीकृति क साथ-साथ अनवादा तथा विशेष मामला म रिकाउ क वक्रियक रुपा का प्रवधन भी हाना चाहिए।
- निवदन अस्वीकृति नाटिसा म दी जानी वाली सचनाआ का विवरण पदान करन वाली धारा ७(३) का संशाधित करत हए उसम निम्न बात शामिल की जानी चाहिए:
 - नाटिस म दी जान वाली सचनाआ का विस्तार दिया जाना चाहिए ताकि सनिवित हा सक कि निवेदका का अपनी अपील का आधार बनान क लिए आर अपन अपील अधिकारा क बार म पणतः जागरुक हान क लिए पयात सचनाए दी गइ ह।
 - यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपराक्त धारा पणतः व अशतः अस्वीकृत, दाना ही तरह क निवदना पर लाग हाती ह।
 - एक नया वाक्यांश जाडा जाना चाहिए जिसम स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सचना तक पहच की स्वीकृति दन वाल नाटिसा म शल्क लगान, शल्क राशि तथा पहच क रुप क विरुद्ध अपील करन स संवित सचनाए शामिल हागी।

नई धारा जोड़ें - निवेदनों का हस्तांतरण

३९. फिलहाल अधिनियम के पद्धति संबंधी प्रावधानों में गलत संस्थानों को प्रेशित किए गए सूचना के निवेदनों को सही संस्थानों में भेजे जाने का प्रावधान नहीं है। यह एक गंभीर भूल है। ऐसे मामलों की परिकल्पना करना बहुत आसान है जहां निवेदक अपने निवेदनों को गलत जगह भेज देते हैं। एक साधारण आदमी को अक्सर स्पष्ट नहीं होता कि किसी खास विषय की प्राथमिक जिम्मेदारी किस विभाग की है। उदाहरण के लिए, बोरवैल ड्रिल करना ग्रामीण विकास व आदिवासी कल्याण के साथ-साथ नगरपालिकाओं तथा पंचायत संस्थाओं से जुड़ा काम है। ऐसी स्थिति में एक निवेदक अपने गांव के बोरवैल के बारे में सूचना पाने के लिए अपना निवेदन किसे भेजे? जबकि सरकार को अपने विभागों के कामों के बारे में बख्बरी मालूम होता है, सो गलत जगह पहुंचे निवेदनों को सही विभागों/ संस्थानों तक पहुंचाना सरकार का दायित्व होना चाहिए। ऐसे निवेदनों को सही विभागों तक पहुंचाने का काम तेजी से होना चाहिए। व्यवहारिक तौर पर सार्वजनिक संस्थान लगभग फैरन यह तय करने की स्थिति में होंगे कि किस निवेदन को अन्य विभाग को भेजे जाने की जरूरत है और वे बिना विलंब के ऐसा कर सकते हैं। स्वयं निवेदकों को ही यह काम सौंपने से अतिरिक्त शुल्क लगेगा और अनावश्यक देरी भी होगी। निवेदन को किसी अन्य विभाग को सौंपे जाने पर निवेदक को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि उन्हें अपने निवेदन के बारे में आगे किस विभाग से संपर्क करना है। इस संदर्भ में जमैका का एक्सेस टू इनफॉर्मेशन एक्ट २००२ एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करता है:

ट.- (१) जहां किसी सरकारी दस्तावेज के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को आवेदन दिया गया है-

(क) जो किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के आधीन आता है; या

(ख) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के क्रियाकलापों से अधिक निकटता से जुड़ी है, पहला सार्वजनिक प्राधिकरण उस आवेदन को या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित उसके उपयुक्त अंश को संबंधित प्राधिकरण को सौंप देगा तथा निवेदक को तुरंत इस हस्तांतरण के बारे में सूचित करेगा।

(२) उपधारा (१) के तहत आने वाले किसी आवेदन को व्यवहारिक रुप से जितना जल्दी संभव हो हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम पांच दिन के भीतर।

सिफारिश

- धारा में एक वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि जिन मामलों में निवेदन गलत संस्था को भेजे गए हैं, वह संस्थान पांच दिन के अंदर उन्हें उपयुक्त संस्थान को भेज निवेदक को इस हस्तांतरण के बारे में सूचित करेगा।

नई धारा जोड़ें- निवेदनों पर कार्रवाई में अतिरिक्त विलंब या कार्रवाई न करने को अस्वीकृति मानना

३२. सूचना तक पहुंच के संबंध में कार्यान्वित किए गए कानूनों से संबंधित अनुभव दर्शाते हैं कि अनेकों अधिकारी कानून को लागू करने से बचने के लिए निवेदनों को पूर्णतः नज़रअंदाज कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे मामलों में निवेदन पर निश्चित अवधि के भीतर कारबाई न करने पर निश्चियता को स्वमेव अस्वीकृति माने जाने संबंधी प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए ताकि निवेदनकर्ता ऐसी अनकही अस्वीकृति के विरुद्ध अपील के प्रयोग कर सके। भारतीय राज्यों के अनुभव दर्शाते हैं कि इस तरह के प्रावधान के न होने पर कभी-कभी इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो जाते हैं कि क्या अपील की जानी चाहिए और कब।

सिफारिशें

- धारा में अनकही अस्वीकृतियों के लिए एक नया वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए जिसमें निम्न बातें हों:

अगर कोई सार्वजनिक सूचना अधिकारी धारा ७(१) में निर्धारित अवधि के भीतर सूचना तक पहुंच के किसी निवेदन पर निवेदक को अपना निर्णय प्रेषित नहीं करता, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ माना जाएगा कि उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने उस निवेदन को अस्वीकृत कर दिया है।

जोड़ें: नया -अध्याय ४ - छूटें

धारा ८

३३. यद्यपि इस तरह के कानून के संदर्भ में आदर्श सामान्य सिद्धांत अधिकतम सूचनाओं को सार्वजनिक करने का ही है, लेकिन तब भी लगभग सर्व-स्वीकृत बात है कि सूचना तक पहुंच के किसी भी कानून में कुछ थोड़ी सी न्यायसंगत छूटें भी हो सकती हैं। अधिकतम सूचनाओं को सार्वजनिक किए जाने के नियम से छूटों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। उनका दायरा बहुत छोटा होना चाहिए। छूटों के पीछे बुनियादी सिद्धांत सही मायने में जनहित की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने का है। छूटों के कानून में शामिल होने के बावजूद, वे दस साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों पर लागू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी छूटों पर जनहित के सर्वोपरि होने का सिद्धांत लागू होना चाहिए यानी अगर किसी मामले में सामान्य छूट के दायरे में आने वाले किसी दस्तावेज को जनहित में सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

३४. मौजूदा अधिनियम की उपधारा ८ व ६ में प्रस्तुत छूट व्यवस्था गंभीर समस्याएं खड़ी करती है, क्योंकि इसमें जनहित के सर्वोपरि होने के सिद्धांत को छूटों पर लागू नहीं किया गया है। यह एक बड़ी भारी कमी है। सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों की भावना के अनुसार अधिनियम में सभी छूटों पर जनहित के सर्वोपरि होने का सिद्धांत प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। छूटों की जांच तीन आधारों पर की जानी चाहिए:

- (१) क्या सूचना न्यायसंगत छूट के दायरे में है?
- (२) क्या सूचना को सार्वजनिक करने से काफी नुकसान होगा?
- (३) क्या उसे सार्वजनिक किए जाने के कारण जनहित की रक्षा के मुकाबले अधिक नुकसान होने की संभावना है?

सिफारिश

- अधिनियम म जनहित क सवापरि हान का पावधान जाडा जाना चाहिए जा अधिनियम की सभी छटा पर लाग हाना चाहिए। पावधान निम्न शब्द म हा सकता ह:

इस अधिनियम म किसी पावधान क हात हए भी काह स्थान यह बतान स इकार नहीं करगा कि काह रिकाड उसक पास माजद ह या नहीं या सचनाआ का सपशित करन या सावजनिक करन या उन तक पहच की स्वीकृति दन स इकार नहीं करगा, बशत सावजनिक किए जान की स्थिति म जनहित की रक्षा क मकाबल सरक्षित हित का अधिक नकसान न पहचता हा।

३५. जनहित के सर्वोपरि होने के सिद्धांत को शामिल किए जाने के बावजूद भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून के तहत दी गई छूटें सख्ती से और न्यायसंगत हितों की रक्षा के लिए जरूरी न्यूनतम स्तर पर निर्धारित की गई हों। हालांकि उपधारा ८ व ६ की कुछ छूटें जरूरी हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर छूटें कानून के प्रयोजन ही को परास्त कर सकती हैं।

उल्लेखनीय बात है कि इस कानून का उददेश्य भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सूचना के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाना है, अतः तर्क का तकाजा है कि सूचना के अधिकार पर आरोपित की गई सीमाएं, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत सीमाओं

से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में काफी बहस होती रही है कि क्या छूटों की मौजूदा व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं।

सिफारिश

- सविधान के अन्सार स्वीकृत न हान वाली सभी छटा का समाप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान अधिनियम की समची छट व्यवस्था का सवधानिकता की समीक्षा की जानी चाहिए।

३६. अगर वर्तमान छूटों को असंवैधानिक मान कर उन्हें समाप्त नहीं किया जाता, तब भी धारा ८ में वर्णित छूटों को सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं-प्रचलनों के अनुकूल बनाने के लिए उनमें काफी संशोधन करने की जरूरत है। सर्वप्रथम, यही बात समस्याएं पैदा करती है कि सभी छूटों को संरक्षित हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना की कसौटी पर सख्ती से परख कर उहें अधिनियम में शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें कि उहें इस आधार पर उचित पाया गया है कि उन सूचनाओं को सार्वजनिक करना संरक्षित हितों को "पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित" करेगा। कानूनी तौर पर यह शब्दावली बहुत व्यापक और अस्पष्ट अर्थ रखती है। इसके स्थान पर वैकल्पिक शब्दावली यह हो सकती है कि इन सूचनाओं को सार्वजनिक करने से "गंभीर नुकसान" या "बहुत नुकसान" होगा। इस तरह की शब्दावली संवेदनशील सूचनाओं को पर्याप्त सुरक्षा भी देती है और पाबंदी की सीमा को इस स्तर पर भी नहीं लाती कि किसी सूचना को सार्वजनिक करने से होने वाले मामूली से नकारात्मक प्रभाव को सूचना को गुप्त रखने का आधार बना लिया जाए।

३७. धारा ८(१)(क) न्यायसंगत ढंग से राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व भारत के सामरिक वैज्ञानिक व आर्थिक हितों के लिए संवेदनशील सूचनाओं को संरक्षित करने का प्रयास करती है। पर तब भी, "भारत की संप्रभुता व एकता" से संबंधित सूचनाओं को प्रदान की गई सुरक्षा को अधिनियम से निकाल देने पर विचार किया जाना चाहिए। अनुभव इस बात का साक्षी है कि इस तरह की व्यापक अवधारणाओं को राष्ट्रीय संप्रभुता के बैनर के नीचे अक्सर सरकार के सांसदों द्वारा अपने पक्षपातपूर्ण दुश्कर्मों को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। वैसे भी "राज्य की सुरक्षा" के अंतर्गत दी गई छूट प्रासंगिक सूचनाओं को सुरक्षा प्रदान कर देती है और साथ ही वह कहीं ज्यादा सुपरिभाशित है, अतः उसका उतना दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

३८. धारा ८(१)(ख) कानून लागू करने संबंधी क्रियाकलापों और/ या न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकने वाली सूचनाओं के सार्वजनिक किए जाने के विरुद्ध तर्कसंगत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। लेकिन, फिलहाल इस छूट का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें "सार्वजनिक सुरक्षा व शांति व्यवस्था" की सुरक्षा को सूचना न देने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। यह आशंका वास्तविक है कि इस रूप में प्रदान की गई छूट अधिनियम को कमज़ोर बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। हम आसानी से उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब शीर्षस्थ राजनेताओं के भ्रष्टाचार को साबित करने वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के विरुद्ध सरकारी अधिकारी यह तर्क दे सकते हैं कि इससे सार्वजनिक शांति व्यवस्था पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि इनका सार्वजनिक होना लोगों को - उचित ही - सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उक्सा सकता है।

३९. धारा ८(१)(ग) संघों में एक आम प्रावधान है। सरकारों के बीच की संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षा देने की जरूरत समझ में आती है। लेकिन, मौजूदा छूट के लिए प्रयुक्त की गई शब्दावली: सरकारों के बीच "गोपनीयता" के तहत ली-दी गई" सूचना - को अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीके से सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे किसी भी दस्तावेज पर "गोपनीय" लिख कर ऐसा कर सकते हैं।

४०. धारा ८(१)(घ) को अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों की मान्यता है कि सूचना की समूची श्रेणियों को छूट प्रदान करना अनुचित है। मंत्रिमंडल के कुछ दस्तावेज या पेपर संवेदनशील हो सकते हैं और उस आधार पर वे छूट के अन्य प्रावधानों के दायरे में आ सकते हैं; लेकिन मंत्रिमंडल के सभी दस्तावेजों को हमेशा संवेदनशील की श्रेणी में रखना उचित नहीं। इसके अलावा, इस प्रावधान का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार जानबूझ कर राजनीतिक रूप से संवेदनशील दस्तावेजों को मंत्रिमंडल को भेज कर उन्हें सार्वजनिक किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा के दायरे में ला सकती है।

४१. धारा ८(१)(च) में काफी संशोधन किए जाने की जरूरत है। यह निर्णय प्रक्रिया के दौरान सरकार को दिए गए परामर्श को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्रदान करने का प्रयास करती है और यह उचित नहीं। यह अपने आप में एक उलटबांसी ही कहीं जाएगी कि ठीक इसी तरह की सूचनाओं को जनता को जानना चाहिए, बशर्ते वे विशिष्ट रूप से संवेदनशील न हों। जनता को यह जानने का हक है कि सरकार किस तरह के परामर्श व सूचनाओं पर अपने निर्णयों को आधारित करती है

और वह निश्कशों तक किस तरह पहुंचती है। अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सलाह व सूचनाएं ऐसे होनी चाहिएं कि जनता की पड़ताल में खरी उत्तर सकें। इस तरह की पारदर्शिता से डरना समूची निर्णय-प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ही सवालों के दायरे में ला देता है। हाँ, यह सही है कि निर्णयों पर पहुंचने से पहले परामर्श संबंधी सूचनाओं को सार्वजनिक करना आम तौर पर उचित नहीं है। इस संदर्भ में उन सूचनाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए जिनके "समयपूर्व सार्वजनिक किए जाने से किसी नीति की सफलता बाधिक हो सकती है या जो निर्णय-प्रक्रिया को बहुत पूर्वग्रहग्रस्त कर सकती है"। लेकिन, अंततः प्रासंगिक सूचनाओं को सार्वजनिक किया ही जाना चाहिए। सुरक्षा केवल समयपूर्व सार्वजनिक किए जाने के विरुद्ध दी जानी चाहिए।

सिफारिश

- यह मानत हए कि धारा ८ म पदान की गई माजदा छठ सवधानिक रूप स उचित है:
 - उपधारा ८(क), (ख), (ग) आर (छ) म प्रयुक्त शब्दावली : एसी "सचना जिसक सावजनिक किए जान स पवगहपण तरीक स प्रभावित...“ का हटा, उसक स्थान पर शब्दावली: एसी "सचना जिसक सावजनिक किए जान स गभीर नक्सान हा सकता ह“ का प्रयाग किया जाना चाहिए;
 - धारा ८(१)(क) स "भारत की सपभता व एकता" शब्दा का हटा दिया जाना चाहिए;
 - धारा ८(१)(ख) स "सावजनिक सरक्षा तथा शांति व्यवस्था" शब्दा का हटा दिया जाना चाहिए या वकल्पिक तार पर इस शब्दावली क अथ क दायर/सीमाओं क बार म अतिरिक्त दिशा निदश पदान किए जान चाहिए;
 - धारा ८(१)(ख) म "अपराध करन क लिए उक्सा सकता ह“ क त्थान पर "परिणामस्वरूप अपराध किए जान की तकसगत सभावना ह“ का प्रयाग किया जाना चाहिए;
 - धारा ८(१)(ग) स "कर्दीय व राज्य सरकारा या उनक किन्ही पाधिकारिया या एजेंसिया क बीच गोपनीयता म ली-दी गई सचनाओ सहित" शब्दा का हटा दिया जाना चाहिए;
 - धारा ८(१)(घ) का परी तरह हटा दिया जाना चाहिए;
 - धारा ८(१)(च) क स्थान पर निम्न पावधान लाया जाना चाहिए:
- "काइ स्थान यह बतान स इकार कर सकता ह कि उसक पास काइ रिकाड माजद ह या नहीं, या सचना का सपशित करन स इकार कर सकता ह, यदि वसा करन स निम्न परिणाम निकल या निकलन की सभावना हा-
- | | |
|---|---|
| <p>(क) सरकारी नीति क पश्चावी सतीकरण या विकास क पति गभीर पवागह पदा हाना;</p> | <p>(ख) नीति का समयपूर्व सावजनिक करन स किसी नीति की सफलता का गभीर रूप स बाधित हाना।"</p> |
|---|---|

४२. धारा ८(२) एक निश्चित समयावधि के बाद गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक दस्तावेजों की सूची में लाने से संबंधित है। इसमें कई कमियां हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रचलन इस पक्ष में हैं कि गोपनीयता की अधिकतम अवधि २५ से घटा कर १० वर्ष कर दी जाए। लेकिन, इस संबंध में यह भी ध्यान रखा गया है कि निश्चित तिथि आने पर गोपनीय दस्तावेज स्वमेव सार्वजनिक श्रेणी में शामिल नहीं हो जाएगा। बल्कि इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या इतना समय गुज़र चुका है कि अब वह दस्तावेज संवेदनशील नहीं रहा और उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या नहीं। यह अपने आपमें एक अतार्किक और अनुचित बात जान पड़ती है कि धारा ८(२) में सरकार द्वारा इस संबंध में तय की गई समयावधि अतिम है और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। धारा १२ के अनुसार दस्तावेजों की गोपनीयता को प्रभावित करने वाले शेष सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। धारा ८(२) के तहत किए गए निर्णयों को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

सिफारिश

- धारा ८(२) म गापनीय दस्तावजा का सार्वजनिक श्रणी म शामिल करन पर विचार करन की समयावधि घटा कर ९० वश की जानी चाहिए।
- धारा ८(२) म स इस प्रावधान का हटा दिया जाना चाहिए: "जब उस तिथि का तय करन का पञ्च उठ जिसस २५ वश की कथित अवधि की गणना की जानी ह, ता कन्द सरकार का नियम अतिम हांगा।"

धारा ६

४३. धारा ६(क) सार्वजनिक संस्थानों को इस बात की स्वीकृति देती है कि जहां उन्हें अपने संसाधनों का असंगत तरीके से अन्यत्र प्रयोग करना पड़े, वहां वे सूचना मांगने से संबंधित निवेदनों पर विचार व कार्रवाई न करें। इस तरह के प्रावधान काफी आम हैं। लेकिन, फिलहाल अनेकों संस्थानों में रिकार्ड प्रबंधन की खराब स्थिति को देखते हुए इस प्रावधान के संबंध में एक सवाल पैदा होता है - अगर रिकार्ड प्रबंधन अधिक कुशल होता, तो क्या इस प्रावधान के तहत आने वाले निवेदनों के लिए वास्तव में अन्यत्र उपयोग के लिए रखे गए संसाधनों को उन निवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए काफी मात्रा में प्रयोग करना पड़ता? "ऐसे प्राधिकरण के कार्य संचालन में नकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करते" वाले निवेदनों को अस्वीकृत करने के लिए किन्हीं अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है। यह शब्दावली बहुत व्यापक है और इस कानून की भावना को न मानने वाले अधिकारी इस प्रावधान की ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि न्यायसंगत निवेदनों तक को अस्वीकार किया जा सके। इस धारा के तहत निवेदनों को अस्वीकार करने से पहले सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा उन निवेदनों में संशोधन करने में सहायता देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अन्यथा, निवेदकों को फिर से अपने निवेदनों को लिखने और उन्हें नए निवेदन के रूप में भेजने के कारण अतिरिक्त व्यवहरण करना होगा।
४४. धारा ६(घ) व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए सूचनाओं को सार्वजनिक न करने से संबंधित है। उसे यहां से हटा कर अन्य छूटों के प्रावधानों के साथ रखा जाना चाहिए। तीसरे पक्ष के गोपनीयता अधिकारों को एक स्तर तक सुरक्षा प्रदान करना न्यायोचित है; लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों का जनता के जानने के अधिकार से संतुलन बनाना अक्सर जरूरी होता है और खासकर उस स्थिति में, जहां सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत गोपनीयता के अपने अधिकारों के आधार पर अपनी ओर से सूचना के सार्वजनिक न किए जाने की मांग करें। हाल ही में यूगांडा सरकार द्वारा तैयार किया गया एक्सेस टू इनफर्मेशन बिल २००४ का मसौदा तीसरे पक्ष के गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान को सूत्रबद्ध करने के संदर्भ में एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करता है:

(१) उपधारा (२) के तहत, सूचना अधिकारी पहुंच पाने के निवेदन को अस्वीकार कर देगा, यदि उस सूचना को सार्वजनिक करने से अनुचित तौर पर किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक करना पड़ता हो। इसमें मृतक व्यक्ति भी शामिल हैं।

(२) किसी व्यक्ति को उपधारा (१) में उल्लेखित रिकार्ड तक पहुंच की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि उस रिकार्ड में निम्न सूचनाएं हैं-

(क) किसी व्यक्ति के बारे में जिसने सूचना पाने के लिए निवेदन करने वाले को उसे सार्वजनिक करने की लिखित स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) जो उस व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में वे सूचनाएं हैं सार्वजनिक संस्थान को दी गई थीं और उन्हें दिए जाने से पहले सार्वजनिक संस्थान द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति को सूचित कर दिया गया था कि वे सूचनाएं ऐसी श्रेणी से संबंधित हैं जिन्हें जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है;

(ग) पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं;

(घ) किसी मृतक व्यक्ति के बारे में हैं और उन्हें पाने का निवेदन करने वाला व्यक्ति:

(ङ) मृतक का नातेदार संबंधी है; या

(१) मृतक के नातेदार की लिखित स्वीकृति के साथ निवेदन कर रहा है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हैं जो किसी सार्वजनिक संस्थान का अधिकारी है/था और जो उस व्यक्ति के पद या उसके आधिकारिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं, पर निम्न तक सीमित नहीं:

- (१) इस तथ्य तक कि वह व्यक्ति उस सार्वजनिक संस्थान का अधिकारी है/था;
- (२) उस व्यक्ति के पद, कार्यालय के पते व फोन नंबर तथा इसी तरह की अन्य सूचनाओं तक;
- (३) उस व्यक्ति के पद की श्रेणी या उसके द्वारा अदा की गई सेवाओं, उसके वेतनमान या पारिश्रमिक तथा दायित्वों तक; और
- (४) उस व्यक्ति द्वारा अपने कार्यकाल में तैयार किए किसी रिकार्ड में मौजूद उसके नाम तक।

सिफारिश

- धारा ६(क) स "एस पाथिकरण क काय सचालन म नकारात्मक रूप स हस्तक्षेप करन" का हटा दिया जाना चाहिए।
- धारा ६(क) म सशाधन कर प्रावधान करना चाहिए कि इस धारा क आधार पर निवेदन का अस्वीकृत करन स पहल सार्वजनिक सचना अधिकारी निवेदक का अपन निवेदन का फिर स लिखन म सहायता दग।
- धारा ६(घ) का यहा स हटा कर धारा ८ क तहत दी गई छठा म शामिल किया जाना चाहिए।
- धारा ६(घ) म सशाधन कर निजी सचनाओं का पदत्त सरका का दायरा कम किया जाना चाहिए आर उन पर जनहित क सवापरि हान का सिद्धांत लाग किया जाना चाहिए।

धारा ९०

४५. यह अपने आपमें एक सकारात्मक बात है कि अधिनियम छूट के दायरे से बाहर रखी गई सूचनाओं को सार्वजनिक करने तथा अधिकारों को अलग-अलग रूप में पहचानने का प्रावधान रखता है। इस भावना के अनुसार धारा १०(२) में संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि निवेदकों को सूचना के आंशिक रूप से सार्वजनिक किए जाने के परामर्श देने वाले प्रासंगिक नोटिस के साथ उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के अवसर और अपील की पद्धति के बारे में भी सूचना दी जाए। यह प्रावधान पैरा ३० के विश्लेषण व सुझावों को ध्यान में रखते हुए, धारा ७(३) जैसी भावना के साथ लिखा जाना चाहिए।

सिफारिश

- धारा १०(२) का सशाधित करत हए उसम यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि आंशिक रूप स सचना का सार्वजनिक करन का परामर्श दन वाल नोटिस म अपील की पकिया क बार म भी सचना दी जाएगी।

धारा ९१

४६. धारा ११(१) का पैरा २ अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए। ऊपर पैरा ३३-३४ में चर्चा की जा चुकी है कि अधिनियम में दी गई सभी छूटों पर जनहित के सर्वोपरि होने का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। इस बात की कोई वजह नजर नहीं आती कि अधिनियम में केवल तीसरे पक्ष से संबंधित सूचनाओं के बारे में ही जनहित के सर्वोपरि होने का सिद्धांत लागू किया जाए।

४७. उपधारा ११(१)-(३) में दी गई समयावधियां अनावश्यक रूप से लंबी हैं। यह देखते हुए कि तीसरे पक्ष को संलग्न न करने वाले निवेदनों का निपटारा "जितना धीम संभव हो" और अधिकतम २० दिनों में करने का प्रावधान रखा गया है, तब तीसरे पक्ष के संलग्न होने की स्थिति में इस समयावधि को दोगुना करने को उचित ठहराना मुश्किल है। कमसे कम इन वाक्यांशों में संशोधन करते हुए ऐसे निवेदनों का निपटारा "जितना धीम संभव हो" करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिक उपयुक्त होगा, यदि तीसरे पक्षों को प्रारंभिक सूचना पांच दिन के भीतर भेज दी जाए। तीसरे पक्ष से परामर्श की जरूरत के बारे में निर्णय करने के लिए इतना समय काफी है। उसके बाद तीसरे पक्ष को जवाब देने के लिए १५ दिन का समय दिया जाना चाहिए। उसे मौखिक (टेलीफोन से), लिखित या इलेक्ट्रोनिक विधि से जवाब देने की इजाजत दी जानी

चाहिए। उसके बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकतम ९० दिन का समय काफी है। अनेकों कानूनों में सभी निर्णयों -चाहे उनमें तीसरे पक्ष की संलग्नता हो या नहीं- को ३० दिन की बुनियादी समयावधि में किए जाना अनिवार्य है। कुछ कानूनों में तो निवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए मात्र ५ दिन का समय ही दिया गया है।

सिफारिश

- धारा ९९(७) क परा २ का अधिनियम स हटा दिया जाना चाहिए।
- उपधारा ९९(७)-(३) की सम्यावधिया का छटा कर अधिकतम ३० दिन कर दिया जाना चाहिए।

जोड़ें: नया-अध्याय ५- शिकायत तथा अपीलें

धारा ९२

४८. सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से संबंधित अंतराष्ट्रीय मानदंड मांग करते हैं कि सूचना कानून तक प्रभावी पहुंच में ऐसी अपील व्यवस्थाएं भी शामिल हैं जो सरकार से स्वतंत्र होने के साथ-साथ सर्ती, तेजी से काम करने वाली तथा सरल पद्धति अपनाने वाली हों। अधिनियम में इस तरह की कोई अपील प्रक्रिया शामिल नहीं की गई है और यह इसकी सबसे गंभीर कमियों में से एक है। स्थिति यह है कि इसमें शामिल की गई आंतरिक अपीलों की प्रक्रिया तक दोशपूर्ण है।
४९. मौजूदा अधिनियम दो तरह की आंतरिक अपीलों की स्वीकृति देता जान पड़ता है: धारा ९२(१) एक आंतरिक अपील की स्वीकृति देती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया के विवरणों को बाद में तय तथा नियमों में निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है। धारा ९२(२) "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण" को एक दूसरी अपील की स्वीकृति देता है। अधिक उपयुक्त होगा कि कानून केवल एक ही आंतरिक अपील का प्रावधान करे, क्योंकि यह सरकार द्वारा अपने नियमों की पड़ताल करने का कम लागत वाला तरीका होगा। व्यवहारिक स्तर पर बीच के पदानुक्रम का कोई अधिकारी प्रारंभिक निर्णय करेगा और अपील की स्थिति में एक वरिष्ठ अधिकारी उसके निर्णय की पड़ताल करेगा। लेकिन, दो आंतरिक अपीलों का कोई औचित्य नहीं है। इससे नौकरशाही पर प्रशासनिक कामकाज का बोझ तथा खर्च ही बढ़ेगा।

सिफारिश

- धारा ९२(१) का हटा दिया जाना चाहिए आर कवल एक आंतरिक अपील का ही प्रावधान हाना चाहिए।
- नीच दी गई एक स्वतंत्र सूचना आयाग की स्थापना स संबंधित सिफारिशा का ध्यान म रखत हए धारा ९२(२) का संशाधित किया जाना चाहिए।

नई धाराएं जोड़ें- सूचना आयोग

५०. हालांकि आंतरिक अपीलों की व्यवस्था किसी निर्णय की समीक्षा का एक सस्ता प्राथमिक अवसर उपलब्ध कराती है, लेकिन जहां अदालतों द्वारा किए गए निराकरणों में बहुत विलंब होने के अलावा, यह तरीका काफी खर्चीला और अनिश्चित भी हो, वहां सरकारी दबाव से स्वतंत्र एक अंपायर का होना प्रशासनिक ढीलेपन, उदासीनता या अड़ियलपन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्र जांच-पड़ताल का भय सुनिश्चित कर देता है कि छूट के प्रावधानों की व्याख्या दायित्वपूर्ण तरीके से की जाएगी और नागरिकों के निवेदनों को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालतें स्वतंत्रता की पहली शर्त को पूरा करती हैं, लेकिन वे अपने काम की धीमी गति के लिए कुख्यात हैं और किसी आम आदमी को उन तक पहुंचने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए, अनेकों कानूनों में सूचना को सार्वजनिक न करने के नियमों के विरुद्ध शिकायतों का फैसला करने के लिए विशेष स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं की स्थापना की गई है। पाया गया है कि ये संस्थाएं अदालतों का अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक तेजी से काम करने वाला विकल्प हैं। मजबूती के साथ स्वतंत्र, पद्धति के स्तर पर सरल तथा अच्छी तरह वित्त-पोशित होने पर जनता उन पर अधिक विष्वास भी करती है।
५१. सर्वश्रेष्ठ प्रचलन सूचना को सार्वजनिक करने से इंकार करने के नियमों की समीक्षा करने, सूचना सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करने तथा आज्ञापालन न करने की स्थिति में दंडित करने की शक्तियों से संपन्न एक समर्पित सूचना आयोग की स्थापना के पक्षधर हैं। कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा पश्चिमी आस्ट्रेलिया सहित अनेक कॉमनवेल्थ कानूनों का अनुभव

दर्शाता है कि सूचना आयोग (आयुक्त) सूचना के अधिकार को एक प्रमुख अधिकार बनाने तथा पारदर्शिता के विरुद्ध नौकरशाही के प्रतिरोध को संतुलित करने में अत्यंत प्रभावी रहे हैं। हाँ, सूचना आयोग के अन्य विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में अपील की शक्तियां एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स द्रिव्यूनल के पास हैं और न्यूजीलैंड तथा बेलिज में ऑमबडसमैन शिकायतों का निपटारा कर सकता है। भारत में अनेकों राज्यों ने मौजूदा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को अपीलें सुनने के लिए नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त यह कार्य करता है। पर, अनुभव साक्षी है कि ये संस्थाएं प्रायः पहले ही काम के अधिक बोझ से दबी होती हैं और/या निष्प्रभावी होती हैं, अतः वे सूचना कानूनों के मुखर समर्थक के रूप में शायद ही कभी स्वयं को स्थापित कर पाई हैं।

५२. कनाडा और इंग्लैंड में एक ही सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। लेकिन भारतीय संदर्भ में कई आयुक्तों वाला आयोग और/या राज्य-आधारित बहुल आयोगों की व्यवस्था कहीं अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की संस्था पर काम का बोझ इतना होगा कि एक अकेला आयुक्त और/या कार्यालय उसे निपटाने में असमर्थ होगा। जरुरी है कि इस तरह के किसी भी सूचना आयोग के सदस्य ईमानदार लोग हों और जनता में उनकी इस रूप में प्रतिष्ठा हो। उनमें अपीलों को सुनने की योग्यता होना भी अनिवार्य है। पारदर्शिता तथा सूचना को सार्वजनिक करने के विरुद्ध सरकार के अपने भीतर से पैदा होने वाले संभावित प्रतिरोध का मुकाबला करने में इन आयुक्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए जरुरी है कि इन पदों पर ऐसे लोग बिठाए जाएं जो सम्मानित तथा उच्च योग्यता रखने वाले हों। इस संदर्भ में कीनिया के एक्सेस टू इनफर्मेशन बिल २००० का मसौदा एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करता है:

१०(२) सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति-

- (क) कीनिया के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति होगा;
- (ख) ऐसा व्यक्ति होगा जो जनता की निगाहों में निष्पक्ष निर्णय करने में सक्षम हो;
- (ग) सरकार के कामकाज के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने वाला व्यक्ति होगा;
- (घ) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर कोई आपराधिक आरोप साबित हो चुका हो या जो दिवालिया रहा हो;
- (च) अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह करने की क्षमता व योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा;
- (छ) वह राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति, मंत्री या उपमंत्री, कार्यरत सार्वजनिक अधिकारी या सांसद नहीं होगा; और
- (ज) किसी अन्य सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं होगा, बरते इस अधिनियम में इसके विपरीत प्रावधान न हो।

५३. सूचना आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया निष्पक्ष तथा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए ताकि सूचना आयुक्तों की निष्पक्ष जनछावि सुनिश्चित हो सके। आयुक्तों को कार्यकाल तथा वेतन की सुरक्षा होनी चाहिए। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांतों के आधार पर उसे केवल संसद में महाभियोग की कार्रवाई के जरिए ही पद से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति और उनको पद से हटाने के लिए वही प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिएं जो फिलहाल न्यायाधीशों के संदर्भ में अपनाई जाती हैं।

५४. सूचना आयोग की संपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में सूचना आयोग की स्वतंत्रता को स्वीकार करने का विशेष प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि आयोग को "बजट, कार्य संचालन व निर्णय करने संबंधी स्वायत्तता होगी और वह अदालतों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के हस्तक्षेप या निर्देशों से पूरी तरह स्वतंत्र होगा।"

५५. सूचना आयोग की अपील संबंधी नियम-व्यवस्था निर्मित करते समय सबसे पहले आयोग की अपील से छूट के मानदंडों का विवरण देना जरुरी है। आस्ट्रेलिया के एक राज्य क्वीन्सलैंड के फ़ीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट १९८२ की धारा ८८ एक अच्छा सामान्य प्रावधान है जिसे इस संबंध में प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह, कनाडा के एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट १९८२ की धारा ३९ भी एक अच्छा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है:

क्वीन्सलैंड:

- (१) समीक्षा करने में आयुक्त को अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्न शक्तियां होंगी-

- (क) संबंधित आवेदन के संदर्भ में किसी एजेंसी या मंत्री द्वारा किए गए किसी निर्णय की समीक्षा करने की;

(ख) इस अधिनियम के तहत जिस आवेदन पर किसी एजेंसी या मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा सकता था, उस आवेदन से संबंधित किसी मामले के निपटारे की;

और इस धारा के तहत किए गए आयुक्त के निर्णय का प्रभाव उस एजेंसी या मंत्री के निर्णय के समकक्ष ही होगा.....

कनाडा:

(१) इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना आयुक्त निम्न से शिकायतें प्राप्त करेगा व उनकी जांच करेगा:

(क) इस अधिनियम के तहत किसी रिकार्ड या उसके किसी अंश तक पहुंच का निवेदन करने वाले उन व्यक्तियों से जिनके निवेदन अस्वीकार कर दिए गए;

(ख) उन व्यक्तियों से जिन्हें (शुल्क प्रावधानों के तहत) एक राशि देने के लिए कहा गया और उन्हें वह राशि तर्कसंगत नहीं जान पड़ती;

(ग) उन व्यक्तियों से जिन्हें रिकार्ड या उसके किसी अंश तक पहुंच उनके द्वारा निवेदित आधिकारिक भाषा में नहीं दी गई.....या उन्हें निवेदित भाषा में पहुंच जितनी समयावधि में दी गई, वे उसे अनुपयुक्त मानते हैं;

(ग १) उन व्यक्तियों से जिन्हें किसी रिकार्ड या उसके किसी अंश तक पहुंच उनके द्वारा निवेदित वैकल्पिक रूप में प्रदान नहीं की गईया उन्हें पहुंच जितनी समयावधि में दी गई, वे उसे अनुपयुक्त मानते हैं;..

(च) इस अधिनियम के तहत रिकार्ड तक पहुंच के निवेदन या प्राप्ति से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में की गई शिकायतें।

५६. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना आयोग अपने अपील संबंधी कार्यों को प्रभावी तरीके से कर पाए, बहुत जरूरी है कि आयुक्तों को घोषित रूप से वे सभी शक्तियां दी जाएं जो संपूर्ण जांच के लिए आवश्यक हैं और साथ ही उनके आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए (आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में अधिक चर्चा के लिए देखें पैरा ६२-६७)। इस संदर्भ में कनाडा के एकसेस टू इनफर्मेशन एक्ट १९८२ की धारा ३६ के तहत वहां के सूचना आयुक्त को दी गई शक्तियां एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं

(१) इस अधिनियम के तहत किसी जांच को करते हुए सूचना आयुक्त के पास निम्न शक्तियां होंगी:

(क) व्यक्तियों को सूचना आयुक्त के सामने प्रस्तुत होने के लिए तलब करने, अपने सम्मनों की तामील कराने, तलब व्यक्तियों को शपथपूर्वक मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने तथा ठीक रिकार्ड के उच्चतर न्यायलय की ही तरह और उसी सीमा तक ऐसे दस्तावेजों और वस्तुओं को अपने सामने पेश कराने की शक्ति है जिन्हें आयुक्त शिकायतकर्ता की शिकायत पर विचार करने और उस की पूरी जांच के लिए जरूरी समझता है;

(ख) शपथ दिलाने की शक्तियाँ;

(ग) शपथ पर या शपथपत्र के द्वारा या अन्य रूप में ऐसे साक्ष्य या अन्य सूचनाओं को प्राप्त व स्वीकार करने की शक्ति जिन्हें आयुक्त उपयुक्त समझता है, भले ही वे साक्ष्य या सूचनाएं कानूनी अदालत में स्वीकार्य हों या नहीं;

(घ) किसी भी सरकारी संस्थान के परिसर में, उस परिसर से संबंधित संस्थान की सुरक्षा शर्तों को पूरा करने के बाद, प्रवेश करने की शक्ति;

(च) पैरा (घ) की पालना करते हुए किसी भी परिसर में किसी भी व्यक्ति से एकांत में बात करने और अन्यथा इस अधिनियम के तहत सूचना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उन पूछताछों को संपन्न करने की शक्ति जिन्हें आयुक्त उपयुक्त समझता है; और

(छ) पैरा (घ) की पालना के उपरांत किसी भी परिसर में प्रवेश करने के बाद वहां मौजूद जांच के संबंध में ग्रासिंग सामग्री रखने वाले दस्तावेजों या अन्य रिकार्डों का निरीक्षण करने या उनकी या उनके अंशों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने की शक्ति।

(२) संसद के किसी अन्य अधिनियम या साक्ष्य कानून के तहत अन्य विशेषाधिकार के होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी शिकायत की जांच के दौरान सूचना आयुक्त किसी सरकारी संस्थान के नियंत्रण में मौजूद और इस अधिनियम के दायरे में आने वाले किसी भी रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है और ऐसा कोई भी रिकार्ड को आयुक्त को किसी भी आधार पर उपलब्ध कराने से इंकार नहीं किया जाएगा।

५७. आयुक्त की जांच संबंधी शक्तियों के अलावा, उसकी निर्णय संबंधी शक्तियों का स्पष्ट निरूपण करना भी आवश्यक है, ताकि नौकरशाह उसके निर्णयों को सिफारिशें भर मान उहें नज़रअंदाज करने की कोशिश न कर सकें। अनकों कानूनों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के अनुसार (जैसे आस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड राज्य व मैक्सिको) आयोग के निर्णय बाध्यकारी होने चाहिए। उसे संबंधित पक्षों को कार्रवाई के लिए बाध्य करने, अपने आदेशों की पालना करने तथा उपयुक्त दंड देने की शक्तियां होनी चाहिए। आयोग के पास सुदृढ़ शक्तियां न होने की स्थिति में गोपनीयता की आड़ में सूचनाओं को सार्वजनिक न करने पर अड़ा नौकरशाही का प्रतिष्ठान उसे आसानी से नज़रअंदाज और दरकिनार कर सकता है। क्वीन्सलैंड के फ़्लैटम ऑव इनफर्मेशन एक्ट १६६२ (जिसे पैरा ५५ में प्रस्तुत किया गया है) की धारा ८८ के अलावा दक्षिण अफ़्रीका के प्रोमोशन ऑव एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट की धारा ८२ तथा एफओआई के आदर्श कानून के अनुच्छेद की धारा ४२-४३ इस संदर्भ में अत्यंत उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं:

दक्षिण अफ़्रीका:

किसी आवेदन की सुनवाई करने वाली (अपील संस्था) कोई भी उचित व न्यायपूर्ण आदेश दे सकती है, जिस आदेशों सहित-

- (क) आवेदन के विषय से संबंधित निर्णय की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने का;
- (ख) (संबंधित संस्था) से ऐसी कार्रवाई करने या ऐसी कार्रवाई से परहेज करने का जिसे अदालत आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर आवश्यक समझती है;
- (ग) निषेधादेश, अंतरिम या विशेष राहत, घोषणात्मक आदेश या मुआवजे का; और
- (घ) लागत संबंधी।

अनुच्छेद १६: ४२(२) उपधारा (१) के अनुसार अपने निर्णय में आयुक्त:-

- क. आवेदन को रद्द कर सकती/सकता है;
- ख. सार्वजनिक या निजी संस्थान को वे कदम उठाने के लिए कह सकती/सकता है जो भाग २ के तहत उसके कर्तव्यों की पालना के लिए आवश्यक हों;
- ग. सार्वजनिक संस्थान को शिकायतकर्ता को हुई किसी क्षति या अन्य नुकसान के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकती/सकता है;
- घ. भाग २ के कर्तव्यों के प्रति भारी या जानबूझ कर की गई चूकों/भूलों के लिए सार्वजनिक संस्थान पर जुर्माना लगा सकती/सकता है।

(३) आयुक्त अपील के अधिकारों सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता तथा सार्वजनिक व निजी संस्थान को प्रेशित करेगा।

४३. (१) आयुक्त किसी सार्वजनिक संस्थान को लिखित में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के बाद, यह निर्णय कर सकती/सकता है कि वह निजी संस्थान भाग ३ के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है।

(२) उपधारा (१) के अनुसार आयुक्त अपने निर्णय में सार्वजनिक संस्थान को ऐसे कदम उठाने के लिए कह सकती/सकता है जोकि उस संस्थान को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उठाने जरुरी हों...इसमें जिस कदम शामिल है:-

- क. एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के द्वारा;
- ख. कोई सूचना और/या सूचना की श्रेणियां प्रकापित करके;
- ग. रिकार्ड की साज-संभाल, प्रबंधन और उसे नष्ट करने और/या रिकार्ड को (प्रासांगिक अभिलेखगार संस्थान) को हस्तांतरित करने के तौर-तरीकों में कुछ परिवर्तन करके;

- घ. उसके अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षित करने के प्रावधान में वृद्धि करके;
- च. धारा २१ के अनुसार उसे एक वार्षिक रपट उपलब्ध करा कर; और/या
- छ. भाग ३ के तहत अपने किसी कर्तव्य की पालना में भारी या जानबूझ कर असफल रहने के मामलों में जुर्माना अदा करके।
- (३) आयुक्त अपील के अधिकार संबंधी सूचना सहित अपना निर्णय सार्वजनिक संस्थान को प्रेशित करेगा।
५८. कनाडा के एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट १९८२ की धारा ३०(३) सूचना आयोग को स्वयं अपनी जांच प्रारंभ करने की शक्ति देती है। इसका अनुकरण करते हुए एक अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। व्यवहार में यह प्रावधान सूचना उपलब्ध कराने में हुए विलंबों की जांच में आयोग के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इस तरह के मामले उस स्थिति में आयोग के पास एक शिकायत के रूप में नहीं पहुंचेगे जब सूचना अंतः प्रदान कर दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद उस मामले की समीक्षा करना और दंड निर्धारित करना संभव हो। खासकर, उस स्थिति में जब आयोग पाए कि संस्थान अवज्ञापूर्ण व्यवहार कर रहा है।
५९. ऊपर जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनके अलावा अनेकों अतिरिक्त पद्धति व प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों पर विचार करने व उन्हें संबोधित करने की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए: सूचना आयोग के निर्णयों के लिए अधिकतम समयावधि-जो संभव हो तो ३० दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए - निर्धारित करना; अपील के निर्णयों की सूचना के रूप तय करना; जहां सूचना आयोग निर्धारित अवधि में शिकायत का निपटारा करने में असफल रहा है और उस आधार पर मान लिया गया है कि उसने नकारात्मक निर्णय दिया है, उस स्थिति में अपील के शेष तरीके प्रयुक्त करने की इजाजत देना; सूचना आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति देना।

सिफारिश

-एक नई धारा/ खण्ड जाडा जाना चाहिए जिसम एक स्वतंत्र सचना आयोग की स्थापना का पावधान हा। कम स कम निम्न मददा का सवाधित किया जाना चाहिए:

- सरकार स स्वतंत्रता सनिश्चित करन के उददश्य स आयक्त/ ता की याग्यताए व नियक्ति व उन्ह पद स हटान की पक्किया;
- आयोग की अपील स छठ क मानदंड;
- सभी दस्तावजा की समीक्षा करन व स्वय स जाच की शरुआत करन सहित जाच सबधी शक्तिया;
- बाध्यकारी निणय करन, सबधित पक्का का कारवाइ करन क लिए बाध्य करन, आदशा की पालना करान व दंड निशारित करन सहित अन्य निणय सबधी शक्तिया;
- निणया की समयावधि सीमाआ, अपील क निणया की सचनाआ क रूप, निवदना पर कारवाइ न करन या उसम विलब हान पर उन्ह अस्वीकृति मानन सबधी पावधान, सचना आयक्त की शक्तिया क हस्तातरण सहित अन्य पद्धतिया।

नई धारा जोड़ें -अदालत से की गई अपीलें

६०. अदालतों के अधिकार क्षेत्र को इस अधिनियम से बाहर रखने वाली धारा १५ को हटा दिए जाने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि सूचना का अधिकार संवैधानिक रूप से स्थापित एक मौलिक अधिकार है। किसी संवैधानिक अधिकार के संबंध में किए गए नौकरशाहों के निर्णयों को अदालत में चुनौती दी जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। इस तरह की अपीलें संविधान के अनुच्छेद ३२, १३६ व २२६ के तहत उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

सिफारिश

-धारा १६ का हटा कर उसक स्थान पर स्पष्ट शब्दा म यह पावधान किया जाना चाहिए कि तथ्य व कानन क आधार पर सचना आयोग क निणया पर अदालता म अपील की जा सकती ह।

नई धारा जोड़ें- साक्ष्य का दायित्व

६१. साक्ष्य का दायित्व सूचना को सार्वजनिक करने से इंकार करने और/ या अन्यथा अपने निर्णय को उचित ठहराने के लिए कानून को लागू करने वाले संस्थान पर होना चाहिए। यह उचित भी है, क्योंकि जनता के सदस्यों पर- जिन्होंने कभी वे दस्तावेज नहीं देखे होंगे जिनके लिए वे निवेदन कर रहे हैं -साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व आरोपित करना अन्यायपूर्ण व उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया के फ़ीडम और इनफर्मेशन एक्ट १९८२ की धारा ६१ एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती है:

(१) उपधारा (२) के तहत इस भाग के अंतर्गत की गई कार्रवाई में जिस एजेंसी या मंत्री से निवेदन किया गया, उसी पर यह स्थापित करने का दायित्व होगा कि निवेदन के संबंध में किया गया उसका निर्णय उचित था या कि न्यायाधिकरण को निवेदक के विरुद्ध निर्णय देना चाहिए।

(२) (तीसरे पक्ष से संबंधित) कार्रवाई में वह पक्ष जो निवेदन पर किसी दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने से इंकार कर रहा है, उसी पर यह स्थापित करने का दायित्व होगा कि निवेदन को अस्वीकार करने का उसका निर्णय उचित था या कि न्यायाधिकरण को निवेदक के विरुद्ध निर्णय देना चाहिए।

सिफारिश

- यह स्पष्ट करत हए एक नह धारा जाड़ी जानी चाहिए कि अपील पक्षिया के दारान साक्ष्य पस्तत करने का दायित्व सूचना का सार्वजनिक करने से इकार करने वाली आर/ या अन्यथा अपने निर्णय का वथ ठहराने के लिए कानून का लाग करने वाली संस्था पर होगा।

नह धारा जोड़ें- अपराध व दंड

६२. अपराध व दंडों से संबंधित व्यापक प्रावधानों के न होने से यह अधिनियम काफी कमज़ोर हो गया है। यह एक ऐसी कमी है जिसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। जहां नौकरशाही को जनता के निवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करने की आदत नहीं है, वहां के कानूनों में कानून का आज्ञा-पालन न करने के विरुद्ध दण्डों का प्रावधान विशेषकर समय पर सूचनाओं को सार्वजनिक करने में एक महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका अदा करता है।

६३. सर्वप्रथम, यह स्पष्ट व विस्तृत तौर पर निर्धारित करना आवश्यक है कि अधिनियम के तहत कौन सी गतिविधियां आपराधिक कृत्य मानी जाएंगी। ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रावधान व्यापक होने चाहिएं और इनमें निवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में किए जा सकने वाले सभी संभावित आपराधिक कृत्यों की पहचान शामिल होनी चाहिए- उदाहरण के लिए, सूचना को सार्वजनिक करने में अनुचित विलंब या उसे रोके रखना; जानबूझ कर गलत सूचना देना, रिकार्ड में जालसाजी करना व उन्हें छिपाना; कानूनी अधिकार के बिना जानबूझ कर रिकार्ड नश्ट करना; अधिनियम के तहत आगे वाले किसी सार्वजनिक संस्थान के काम में बाधा डालना और/ या सूचना आयुक्त के आदेशों की पालना न करना।

६४. आपराधिक कृत्यों के विवरण देने के बाद, उनके लिए दंड की व्यवस्था की जाने की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों में गंभीर अपराधों के लिए कारावास सहित बड़े जुर्माने का दंड भी दिया जा सकता है। उत्तेखनीय है कि जुर्माने इतने बड़े होने चाहिएं कि वास्तव में दुराचारण को निरुत्साहित कर सकें। भ्रष्टाचार -वह महाव्याधि जिससे निपटने में सूचना अधिकार कानून सहयोगी हैं - के चलते नौकरशाहों के वारे-न्यारे हो सकते हैं। जुर्माने व कारावास का खतरा एक महत्वपूर्ण निरोधक हो सकता है; लेकिन यह इतना बड़ा होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से होने वाले लाभों पर भारी पड़े।

६५. दंड संबंधी प्रावधानों को तैयार करते समय, भारतीय राज्यों में सूचना अधिकार कानूनों के जरिए सीखे गए सबक बहुत कुछ समझा सकते हैं। महाराष्ट्र में केवल विभागों को ही नहीं बल्कि दोशी अधिकारी/अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। हकीकत में दोशी अधिकारी को दंडित करने के प्रावधान न होने पर अनेकों सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य की पालना करने में कोताही बरतेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसके परिणाम वे नहीं, बल्कि उनका विभाग भुगतेगा। अतः गोपनीयता की जड़ें जमाए बैठी संस्कृति से लड़ने के लिए जरूरी है कि कानून की पालना न करने वाले अधिकारी को दंडित करने की व्यवस्था हो। इस संबंध में दंड के प्रावधानों को सर्तकता से तैयार किए जाने की जरूरत है, ताकि दोशी अधिकारी को दंड मिले, भले ही वह वरिष्ठता क्रम में कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो। दंड के प्रावधानों के संबंध में यह मान लेना अनुपयुक्त होगा कि दंड का भागी हमेशा सार्वजनिक सूचना आधिकारी ही होगा। अगर सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने अपने कर्तव्य की पालना का वास्तव में प्रयास किया है, लेकिन किसी अन्य अधिकारी के कार्यों की वजह से उसके काम में बाधा आई है, तो दोशी सार्वजनिक सूचना अधिकारी को नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके बजाय कानून की पालना न करने वाले अधिकारी को ही दंड मिलना चाहिए।

६६. अधिकांश अधिनियमों में अपराध व दंड के प्रावधानों को एक साथ मिला दिया गया है। नीचे विचारार्थ कुछ प्रावधान उद्धृत किए गए हैं: महाराष्ट्र के सूचना अधिकार अधिनियम २००२ की धारा १२; आदर्श कानून के अनुच्छेद १६ की धारा ४६; और इंग्लैंड के फ्रीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट २००० की धारा ५४।

महाराष्ट्र:

(१) जहां कोई सार्वजनिक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना को बिना किसी तर्कसंगत कारण के निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान करने में असफल रहा है...अपील प्राधिकारी ऐसे सार्वजनिक सूचना अधिकारी को अपनी बात कहने का एक उपयुक्त अवसर देने के बाद, सूचना प्रदान करने में हर दिन के विलंब के लिए अपील में २५० रु. के जुर्माने का दंड दे सकता है।

(२) जहां अपील में पाया जाए कि किसी सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने जानते-बूझते प्रदान की है-

(क) गलत या भ्रामक सूचना, या

(ख) गलत व अधूरी सूचना;

वहां अपील प्राधिकरण ऐसे अधिकारी को अपनी बात कहने का एक उपयुक्त अवसर देने के बाद, उपयुक्त लगने पर उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी को अधिकतम २०००रु. जुर्माने का दंड दे सकता है...

(३) अपील प्राधिकरण द्वारा उपधारा (१)व (२) के तहत दिए गए दंड की वसूली संबंधित सार्वजनिक सूचना अधिकारी के वेतन से की जाएगी या अगर वह वेतन नहीं ले रहा, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

अनुच्छेद १६:

(१) जानबूझ कर निम्न कार्रवाई करना आपराधिक दोष है:-

क. इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किसी रिकार्ड तक पहुंच में बाधा डालना;

ख. इस अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक संस्थान के किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना;

ग. अपील सुनने या मॉनीटर करने वाली संस्था के काम में हस्तक्षेप करना;

घ. बिना कानूनी अधिकार के रिकार्ड को नष्ट करना; और

च. रिकार्ड छुपाना या उनमें जालसाजी करना।

(२) उपधारा (१) में वर्णित किसी भी अपराध को करने वाला व्यक्ति त्वरित कार्रवाई में अधिकतम (उपयुक्त राशि) के जुर्माने और/ या अधिकतम दो वर्श के कारावास के दंड का भागी होगा।

इंग्लैंड:

(२) अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकारी (अपील संस्था के किसी नोटिस) की पालना करने में असफल रहा है, तो (अपील संस्था) अदालत को लिखित में प्रमाण दे सकती है कि वह सार्वजनिक प्राधिकारी उसके नोटिस की पालना करने में असफल रहा है।

(३) जहां किसी असफलता को उपधारा (१) के तहत प्रमाणित कर दिया गया है, अदालत उस मामले में पूछताछ कर सकती है और सार्वजनिक प्राधिकारी के पक्ष या उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए किसी गवाह को सुनने के बाद और बचाव में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने के बाद, उस प्राधिकारी से वैसा व्यवहार कर सकती है जो कि अदालत की अवमानना के दोषी व्यक्ति से किया जाता है।

६७. कानून से अस्पष्टाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि आंतरिक अपील प्राधिकरण, सूचना आयोग तथा अदालतें, सभी इस अधिनियम के तहत दंड देने का अधिकार रखती हैं।

सिफारिश

-अनवित विलबा या सचनाआ का राक रखन, जानबज्ज कर गलत सचना पदान करन, रिकाड का छिपान या उसम जालसाजी करन, बिना काननी अधिकार क जानबज्ज कर रिकाड का नश्ट करन, अधिनियम क तहत काम कर रह किसी सावजनिक संस्थान क काम म बाथा डालन आर/ या सचना आयत क आदशा की पालना न करन स निपटन क लिए अधिनियम म अपराधा व दडा स संबंधित व्यापक प्रावधान शामिल किए जाए।

- इस अधिनियम क तहत किसी अपराध का दाशी पाए गए व्यक्ति- सावजनिक सचना अधिकारी क स्थान पर पतिनियक्त व्यक्ति तथा उन व्यक्तिया सहित जिनकी सहायता सावजनिक सचना अधिकारी द्वारा मारी गई थी-का दण्डित करन क प्रावधान जाड जाए।

- आतरिक अपील प्राधिकरण, सचना आयग व अदालता का अधिनियम क तहत दड निष्ठारित करन की शक्तिया दी जाए।

मौजूदा अध्याय ३: विविध

धारा १३

६८. यह एक सकारात्मक पहलू है कि धारा १३ सार्वजनिक प्राधिकरणों व उनके कर्मियों को सूचना को सार्वजनिक करने से पैदा हुए दायित्व के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।

धारा १४

६९. यह एक सकारात्मक बात है कि धारा १४ में स्पष्ट प्रावधान है कि नया सूचना कानून अन्य असंगत कानूनों पर सर्वोपरि होगा। एक सूचना अधिकार कानून को स्वयं द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों तथा पहचानी गई सीमाओं, दोनों ही स्तरों पर व्यापक होना चाहिए। इस कानून के तहत दी गई छूटों की सूची संपूर्ण होनी चाहिए और किसी अन्य कानून को उसे बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों की मांग है कि गोपनीयता की स्थापना करने वाले ऑफिशिल सीक्रेटेस एक्ट और अन्य कानून या लोक सेवाओं संबंधी नियमों को समाप्त किया जाए और/ या उनमें बड़े व बुनियादी संशोधन किए जाएं। यदि कानून की किताबों में सूचना के अधिकार को सीमित करने वाले कानून बने रहे, तो यह भ्रम भी बना रहेगा कि प्राथमिकता किस प्रावधान को दी जाए- गोपनीयता को या पारदर्शिता और खुलेपन को।

धारा १५

७०. जैसा कि ऊपर पैरा ६० में बताया गया है, धारा १५ की संवैधानिक वैधता विवादास्पद है और अदालतें उसे समाप्त कर सकती हैं। बहरहाल, यह धारा अधिनियम के उददेश्यों के विपरीत जाती है, अतः इसे हटा दिया जाना चाहिए।

सिफारिश

-धारा १५ का हटा दिया जाना चाहिए क्याकि अदालता म अपील करन स राकना असवधानिक ह।

धारा १६

७९. वर्तमान में धारा वस्तुतः छूट की धारा के रूप में काम करती है और उसके तहत समूचे संस्थानों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। यह प्रावधान सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों और पारदर्शी अभिशासन को बढ़ावा देने के विपरीत जाता है। यह बात समझ आती है कि सरकार संवेदनशील सुरक्षा/ गुपतचरी सूचनाओं को गोपनीय रखना चाहेगी। उसके लिए धारा ८(१)(क) के द्वारा उपलब्ध कराई गई राष्ट्रीय सुरक्षा छूट काफी है। इसके आगे जाना और यह मानना कि सुरक्षा/ गुपतचर संस्थानों के नियन्त्रण में मौजूद तभी सूचनाएं संवेदनशील हैं और उन्हें इस अधिनियम के दायरे के बाहर रखा जाना चाहिए, अपने आपमें अनुचित व अनावश्यक है। उदाहरण के लिए, कर्मियों के रिकार्ड, सामग्री हासिल करने संबंधी अनुबंधों तथा बजट से संबंधित सामान्य सूचनाओं जैसी बुनियादी सूचनाओं को छूट दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

सिफारिश

-धारा १६ का हटा दिया जाना चाहिए क्याकि धारा ८ की छूट संवेदनशील सचनाआ का सरक्षा पदान करन क लिए प्रयाप्त ह।

कुछ अन्य प्रावधानों के सुझाव

नई धारा जोड़ें- मॉनीटर व सुधार करना

72. अब सूचना पहुंच कानूनों में अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने व बढ़ावा देने के साथ-साथ उस कानून के उपयोग को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाने का विशिष्ट कार्य करने वाली संस्था के प्रावधान शामिल करना निरंतर एक आम बात होती जा रही है। कानून के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना- इस बात का मूल्यांकन करना कि सार्वजनिक संस्थाएं किनने प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का पालन कर रही हैं और ऐसी सूचनाएं एकत्रित करना जिन्हें सुधार की सिफारिशों के समर्थन में प्रयुक्त किया जा सके- एक महत्वपूर्ण काम है। विभिन्न कानूनों में मॉनीटरिंग के विभिन्न मॉडल हैं। कुछ देशों में हर सार्वजनिक संस्थान को अपनी एक वार्षिक कार्यान्वयन रपट तैयार करने के लिए कहा जाता है और उन रपटों को संसद को सौंप दिया जाता है। कुछ अन्य देशों में मॉनीटर करने की जिम्मेदारी एक ही संस्था को सौंपी जाती है जो कि एक अत्यंत प्रभावी तरीका है, क्योंकि इससे समूची सरकार का कार्यान्वयन मॉनीटर होना सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही एक तुलनात्मक विश्लेषण करना भी संभव हो जाता है। कुछ अन्य देशों में उपरोक्त दोनों तरीकों का मिला-जुला रूप अपनाया जाता है। मॉनीटरिंग की संभावित पद्धतियों के संदर्भ में त्रिनिदाद व टोबागो के फ्रीडम ऑव इनफर्मेशन एक्ट २००० की धारा ४८ व ४९ उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं:

त्रिनिदाद व टोबागो:

(१) प्रत्येक वर्ष के अंत में जितना शीघ्र व्यवहारिक हो मंत्री इस अधिनियम के उस वर्ष के संचालन की रपट तैयार करेगा और संसद के दोनों सदनों में उस रपट की एक प्रतिलिपि रखवाएगा।

(२) प्रत्येक जिम्मेदार मंत्री अपने विभाग के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में मंत्री को वे सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जिनकी जरूरत मंत्री को इस धारा के तहत तैयार की जाने वाली किसी भी रपट के लिए होगी और उन सूचनाओं को उपलब्ध कराने तथा इस धारा के प्रयोजनों के लिए रिकार्ड रखने से संबंधित किन्हीं भी आदेशित आवश्यकताओं की पालना करेगा।

(३) इस धारा के तहत रपट में उस वर्ष के संबंध में, जिस के बारे में रपट है, निम्न सूचनाएं होंगी:

(क) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण से किए गए निवेदनों की संख्या;

(ख) उन निर्णयों की संख्या जिनके तहत आवेदक को उसके द्वारा नियोदित सूचना तक पहुंच का अधिकार नहीं दिया गया, इस अधिनियम के वे प्रावधान जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और किस प्रावधान का कितनी बार प्रयोग किया गया;

(ग) इस अधिनियम के तहत हुए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के आवेदनों की संख्या और उन आवेदनों के नतीजे;

(घ) इस अधिनियम के संचालन के संबंध में ऑम्बडसमैन से की गई शिकायतों की संख्या और इन शिकायतों का स्वरूप;

(च) धारा १०(१) के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को दिए गए नोटिसों की संख्या और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए उन निर्णयों की संख्या जो व्यक्ति के दावे के विरुद्ध गए;

(छ) इस अधिनियम के संचालन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विवरण;

(ज) इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी/ प्राधिकरण द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क;

(झ) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदकों या जनता के सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए किसी रीडिंग रुम या अन्य सुविधा और उस रीडिंग रुम या अन्य सुविधा में नियमित रूप से प्रदर्शित किए गए प्रकाशनों, दस्तावेजों या अन्य सूचनाओं के विवरण;

(ट) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम की भावना व मंतव्य को कार्यान्वित व संचालित करने का संकेत देने वाले कोई अन्य तथ्य।

इंग्लैड़:

४६(१) आयुक्त प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन की एक सामान्य वार्षिक रपट संसद के दोनों सदनों के समुख रखेगा।

(२) आयुक्त समय-समय पर अपने उन कार्यों के बारे में भी संसद को अपनी रपट दे सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

४८(१) यदि किसी आयुक्त को लगे कि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को धारा ४५ व ४६ द्वारा प्रस्तावित व्यवहार संहिता के अनुसार नहीं कर रहा, तो वह उस प्राधिकरण को सिफारिश (इस धारा के अनुसार "व्यवहार संबंधी सिफारिश") भेज सकता है जिसमें निर्दिश्ट किया गया हो कि इस तरह की पालना को बढ़ावा देने के लिए उसकी राय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

(२) व्यवहार संबंधी सिफारिश लिखित में दी जानी चाहिए और उसमें व्यवहार संहिता के उन विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनकी पालना आयुक्त की राय में उस प्राधिकरण के व्यवहार में नहीं हो रही।

सिफारिश

- एक नई धारा जाड़ी जानी चाहिए जिसक अतगत अधिनियम क कार्यान्वयन का मानीटर करन तथा अधिनियम क तहत आन वाल संस्थान की वाशिक रपटा व संसद का उनका सार-सक्षप सापन की दखरख का दायित्व सचना आयुक्त का हाना चाहिए।

नई धारा जोड़ें- विक्षण व प्रशिक्षण

७३. कानून में एक ऐसी संस्था से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने का चलन अब निरंतर बढ़ता चला जा रहा है जो न केवल अधिनियम के कार्यान्वयन को मौनीटर करे, बल्कि नौकरशाही और जनता में पारदर्शी बासन की अवधारणा तथा सूचना के अधिकार को साक्षिय रूप से बढ़ावा दे। इन प्रावधानों के तहत अक्सर विशिष्ट तौर पर सरकार से जनता व कानून के संचालन का दायित्व वहन करने वाले अधिकारियों को शिक्षित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की जाती है। इस संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका के प्रोमोशन ऑव एक्सेस टू इनफर्मेशन एक्ट २००० की धाराएं द३ व १० संयुक्त रूप से एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं:

दक्षिण अफ्रीका:

८२(२) नाम डालें,जिस हद तक वित्तीय व अन्य संसाधन उपलब्ध हैं-

(क) लोगों में, विशेषकर वंचित समुदायों में, इस अधिनियम और इसमें परिकल्पित अधिकारों के प्रयोग करने के तरीके की समझ बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित व संचालित करें;

(ख) पैरा (क) में उल्लेखित कार्यक्रमों को विकसित व संचालित करने में सार्वजनिक व निजी संस्थाओं को भागीदारी करने और स्वयं ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करें; और

(ग) सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में सही सूचनाओं के सामिक व प्रभावी प्रसार को बढ़ावा दें।

(३) संस्थान का नाम डालें,कर सकते हैं:

(क) निम्न के लिए सिफारिशें-

(१) इस अधिनियम या क्रमशः सार्वजनिक व निजी संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों या कॉमन लॉ के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन; और

(२) उन पद्धतियों के लिए जिनके द्वारा सार्वजनिक व निजी संस्थाएं इलेक्ट्रोनिक विधि से सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं;

- (ख) इस अधिनियम को मॉनीटर व कार्यान्वित;
- (ग) यदि तार्किक रूप से संभव हो तो निवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति की सहायता जो इस अधिनियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है;
- (घ) किसी सार्वजनिक या निजी संस्थान को इस अधिनियम के संचालन के उसके तौर-तरीकों के संबंध में ऐसी सिफारिशें जिन्हें संस्थान का नाम डालें, उपयुक्त समझता है;
- (च) सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षित;
- (छ) इस अधिनियम की पालना करने में आने वाली समस्याओं पर सार्वजनिक व निजी संस्थानों से विचार-विमर्श व उनसे रपट लेना;
- १०(७) सूचना आयुक्त, १८ महीने के अंदर प्रत्येक अधिकारिक भाषा में ऐसी मार्गदर्शिका तैयार करेगा जिसमें आसानी से समझ आने वाले रूप व शैली में वे सूचनाएं हों जिनकी इस अधिनियम में परिकल्पित अधिकारों का प्रयोग करना चाहने वाले व्यक्ति को आवश्यकता हो सकती है;
- (२) मागदार्शिका में उपधारा (१) के सामान्य अर्थ को सीमित किए बगैर निम्न का वर्णन होना चाहिए-
- (क) इस अधिनियम का उददेश्य;
- (ख) निम्न का डाक व गली का पता, फोन व फैक्स नंबर, और यदि उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस:
- (१) प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान का सूचना अधिकारी; और
- (२) प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान का उपसूचना अधिकारी....;
- (ग) किसी सार्वजनिक संस्थान या किसी निजी संस्थान के किसी रिकार्ड तक पहुंच के लिए निवेदन का तरीका व उसका रूप.....;
- (घ) इस अधिनियम के संदर्भ में किसी सार्वजनिक संस्थान के सूचना अधिकारी से प्राप्त होने वाली सहायता (और उसके कर्तव्य);
- (च) इस अधिनियम के संदर्भ में (सूचना आयोग) से प्राप्त की जा सकने वाली सहायता;
- (छ) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में किसी कार्वाई या कार्वाई न करने के विरुद्ध कानून में उपलब्ध निराकरण, इसमें निम्न को दायर करने का तरीका भी शामिल होना चाहिए-
- (१) आंतरिक अपील; और
- (२) किसी सार्वजनिक संस्थान के सूचना अधिकारी के किसी निर्णय, आंतरिक अपील पर हुए किसी निर्णय या निजी संस्थान के मुखिया के किसी निर्णय के विरुद्ध (सूचना आयोग और) अदालत में आदेदन;.....
- (झ) रिकार्डों की श्रेणियों के स्वैच्छिक सार्वजनिक खुलासे (से संबंधित)...प्रावधान.....;
- (ठ) पहुंच के निवेदनों के संबंध में अदा किए जाने वाले शुल्क के संबंध में नोटिस; और
- (ठ) (अधिनियम के अनुसार) बनाए गए नियम।
- (३) यदि आवश्यक हो, तो (सूचना आयोग) मार्गदर्शिका को अपडेट कर उसका प्रकाशन करेगा ('प्रकाशन' शब्द के अर्थ पर चर्चा के लिए देखें ऐरा २०), लेकिन इसमें दो वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं आएगा।

सिफारिश

- सूचना के अधिकार पर मागदार्शिका के प्रकाशन सहित अन्य तरीका से जनता में जागरूकता पदा करन, अधिनियम का कार्यान्वित करने का दायित्व वहन करने वाली संस्थाओं का पाशक्षण पदान करने के दायित्व, विशेष तार पर एक संस्था (या संस्थाओं) का साप जान से संबंधित एक नई धारा जाड़ी जानी चाहिए। बहतर हांगा कि ये दायित्व नए सूचना आयोग का साप जाए। दायित्व का अनुसार ही इस संसाधन उपलब्ध कराने का पावधान हाना चाहिए।

नई धारा जोड़ें- चेताने वालों ("विस्तलब्लॉअर्स") के लिए सुरक्षा

78. हाल ही में सत्येन्द्र दुबे के त्रासद मामले ने यह बात सामने ला दी है कि भारत को अपने संस्थान की धांधलियों पर "सीटी बजाने वाले" कर्मियों की रक्षा करने के लिए भारत को एक कानून की बहुत जरूरत है। सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि अपने संस्थान के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले ऐसे कर्मियों के लिए एक खास कानून बनाया जाए। पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों को देखते हुए, कम से कम इतना तो किया ही जाना चाहिए कि सूचना पहुंच कानून में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सचेत करने वालों को सुरक्षा देने का प्रावधान शामिल हो। सूचना को अधिकतम स्तर तक सार्वजनिक किए जाने की मान्यता के आधार पर ऐसा करना उचित होगा। प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो कर्मी कानून और/ या अपने रोजगार अनुबंध के विपरीत अपने इस विष्वास के तहत सूचना को सार्वजनिक करते हैं कि ऐसा करना जनहित में होगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जनता व अधिकारियों को यह संदेश देने के लिए कि सरकार अपने काम की वैध जांच-पड़ताल के लिए गंभीरता से तैयार है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सचेत करने वालों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में आदर्श एफओआई कानून के अनुच्छेद १६ की धारा ४७ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है:

(१) कदाचार के बारे में या स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे से संबंधित सूचना देने के लिए तब तक किसी को भी कोई कानूनी, प्रशासनिक या रोजगार से संबंधित दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक सूचना देने वाले ने नेकनीयती के चलते और इस उपयुक्त विश्वास के तहत ऐसा किया हो कि सूचना वास्तव में सही है और कदाचार को या स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे को उजागर करती है, भले ही ऐसी सूचना देने से किसी कानूनी या रोजगार संबंधी कर्तव्य का उल्लंघन हुआ हो।

(२) उपधारा (१) के संदर्भ में कदाचार में आपराधिक कृत्य करना, किसी कानूनी कर्तव्य की पालना में असफल रहना, न्याय को विफल करना, भ्रष्टाचार व बेर्इमानी, या किसी सार्वजनिक संस्थान का धोर कुशासन शामिल हैं।

सिफारिश

- कदाचार क पति सचेत करन वाला का सरक्षा पदान करन सबधी एक नई धारा जाडी जानी चाहिए।

अधिक सूचना के लिए संपर्क करें:

श्रीमती माया दारुवाला, निदेशक

अथवा

सुश्री शार्मेन रॉड्रिग्स, सूचना अधिकार कार्यक्रम प्रभारी

फोन: ६९ ९९ २६८५ ०५२३

फैक्स: ६९ ९९ २६८६ ४७८८

ईमेल: maja@humanrightsinitiative.org या charmaine@humanrightsinitiative.org